वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष करों से संबंधित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के उपबंध निम्नलिखित की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर का संशोधन करने के लिए हैं:

(i) कर दाताओं को उपलब्ध आधारिक छूट सीमा में वृद्धि करके व्यष्टि कर दाताओं पर भार कम करना;

(ii) लघु कारबारों के लिए सरलीकृत उपधारणात्मक कर स्कीम प्रारंभ करना;

(iii) त्वरित विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराकर भारत में विदेशी निवेश की वृद्धि को प्रोत्साहन देना;

(iv) कतिपय सेक्टरों के लिए निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराकर कर प्रणाली की दक्षता में सुधार करना;

(v) सेवा प्रदाय के मानकों में सुधार करके और कार्यकरण में पारदर्शिता लाकर कर प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करना;

(vi) स्रोत पर कर कटौती संबंधी उपबंधों का सरलीकरण करना और उनका सुव्यवस्थीकरण करना।

2. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान कर के लिए दायी आयों पर आय-कर की दरों को विहित करने के लिए है, वे दरें जिन पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ब्याज (जिसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज भी सम्मिलित है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़-दौड़ से जीत की रकम, ताश के खेल, आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरों, और ''वेतन'' से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें विहित करने के लिए है।

3. कतिपय अपवादों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें कर विधि के सुसंगत उपबंधों पर कार्यवाही करते समय उपदर्शित किया गया है, कर विधि के उपबंधों में परिवर्तनों को उनके प्रवर्तन में मामूली तौर पर भविष्यलक्षी करने का प्रस्ताव है।

4. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

आय-कर

आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2009-10 की बाबत कर के लिए दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2009-2010 की बाबत कर के लिए दायी सभी वर्गों के निर्धारितियों की आय के संबंध में, आय-कर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है। ये वही हैं, जो "अग्रिम कर", "वेतन" में से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार -

यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिनकी कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है, इस प्रकार संगणित कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगीं।

कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में इस प्रकार संगणित कर में आय के सभी स्तरों पर दस प्रतिशत के अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

स्थानीय प्राधिकारी और सहकारी सोसाइटी की दशा में कोई अधिभार उदग्रहणीय नहीं है।

प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, दस प्रतिशत की दर से अधिभार केवल ऐसे मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है। देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में केवल ऐसे मामलों में ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक की आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित है, जो एक करोड़ रुपए की आय से अधिक है, इन सभी मामलों में सीमांत अनुतोष अनुज्ञात किया जाएगा।

साथ ही, ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां सीमांत अनुतोष उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अनुषंगी फायदा कर पर अधिभार -

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदे की बाबत अधिभार निम्नानुसार उद्गृहीत किया जाएगा—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय की दशा में, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं, कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से।

(ख) प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, अनुषंगी फायदों की रकम पर ध्यान न देते हुए, कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से।

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, अनुषंगी फायदों की रकम पर ध्यान न देते हुए, कर की रकम के ढ़ाई प्रतिशत की दर से।

(3) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, सभी मामलों में, कर की रकम, अधिभार सहित, पर दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों में से वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों में से वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरों को विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है। देशी कम्पनी से भिन्न कंपनियों सहित, भारत में निवासी किसी व्यक्ति की दशा में, ये दरें वहीं हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किया गया था। तथापि, टीडीएस दरों के सुव्यवस्थीकरण के उद्देश्य से, अधिकांश दरों को 10% पर अभिसारित किया गया है।

(1) अधिभार—

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में ऐसे कर की ढाई प्रतिशत की दर से, अधिभार की वृद्धि की जाएगी जहां संदत्त या संदेय ऐसी आय या आयों का कुल योग कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य सभी दशाओं में कटौतियों पर अधिभार के उद्‌ग्रहण को वापस लिया गया है।

(2) शिक्षा उपकर—

भारत में अनिवासी व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियां भी हैं, की दशाओं में और वेतन के संदाय पर कटौतियों की दशाओं में संघ के प्रयोजनों के लिए क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आयकर परिकलित करने के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने और निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने के लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ये दरें वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू होंगी। उदाहरणार्थ भारत में अनिवासियों को होने वाले पोत परिवहन लाभों का अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से बाहर सदा के लिए जाने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने हेतु संपत्ति का अंतरण करने की संभावना है, लघु अवधि के लिए बने निकायों का निर्धारण आदि।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में दी गई हैं—

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं; या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) की दशा में आय-कर की दरें प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

आधारिक छूट को 1,50,000/- रुपए से बढ़ा कर 1,60,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर नई आय-कर दरें निम्नानुसार हैं—

1,60,000/- रुपए तक	शून्य
1,60,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी समय पैंसठ वर्ष की आयु से कम है, के लिए छूट सीमा को 1,80,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,90,000/- करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार हैं—

1,90,000/- रुपए तक	शून्य
1,90,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय पैंसठ वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का है, छूट की सीमा को 2,25,000/- रुपए से बढ़ा कर 2,40,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार हैं—

2,40,000/- रुपए तक	शून्य
2,40,001/- रुपए से 3,00,000/- रुपए	10%
3,00,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए	20%
5,00,000 रुपए से अधिक	30%

प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा क के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की दशा में कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

ख. सहकारी सोसाइटियां

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दरें निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए विनिर्दिष्ट दरों के समान बनी रहेंगी। कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए विनिर्दिष्ट दर के समान बनी रहेगी।

तथापि अब किसी फर्म की दशा में कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के मामले में आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वैसी ही बनी रहेगी जैसी वह निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है। कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

ङ कम्पनियां

कंपनियों के मामले में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जैसी वे निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित की गई हैं।

यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढ़ाई प्रतिशत की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार तक वृद्धि की जाएगी।

तथापि, ऐसे मामलों में, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से उतनी रकम द्वारा अधिक नहीं होगी जितनी आय की रकम एक करोड़ से अधिक है।

अनुषंगी फायदों पर अधिभार, अनुषंगी फायदों की रकम को ध्यान में रखते हुए, कर की विद्यमान दरों पर उदगृहीत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए, सभी दशाओं में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए आय-कर, अधिभार, सहित, पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर, से उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा।

[खंड 2]

उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ किसी ऐसे निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि है, अध्ययन के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज के माध्यम से पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी राशि के मद्दे कटौती का उपबंध करती है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह कटौती केवल इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, प्रबंध में किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अनुप्रयुक्त विज्ञान या शुद्ध विज्ञान, जिसके अंतर्गत गणित और सांख्यिकी भी हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पूर्णकालिक अध्ययन के लिए उपलब्ध है।

देश में मानव पूंजी सृजन में योगदान करने के उद्देश्य से, आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि इसकी परिधि को, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किए जाने वाले अध्ययनों के (व्यवसायी अध्ययनों सहित) सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

निःशक्तता से ग्रस्त किसी आश्रित के चिकित्सीय उपचार के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ किसी ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, निम्नलिखित के संबंध में कटौती के लिए उपबंध करती है,—

(क) किसी ऐसे आश्रित के, जो निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (परिचर्या सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए व्यय; और

(ख) किसी निःशक्त आश्रित के भरण-पोषण के लिए किसी स्कीम के संबंध में एलआईसी या अन्य बीमा कंपनी को संदत्त रकम।

यदि आश्रित निःशक्तता से ग्रस्त है तो कटौती के लिए वर्तमान सीमा 50,000 रुपए है और यदि आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त है तो यह सीमा 75,000 रुपए है।

गंभीर निःशक्तता के लिए सीमा को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तथापि, साधारण निःशक्तता के लिए सीमा को 50,000 रुपए की विद्यमान सीमा पर बनाए रखने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी किया जाएगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्‌वर्त्ती वर्षों के लिए लागू होगा।

[खंड 31]

अग्रिम कर के संदाय के लिए सीमा बढ़ाना

आय-कर अधिनियम की धारा 208 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर के संदाय के लिए दायित्व तब उद्‌भूत होता है जब उस वर्ष के दौरान ऐसे संदेय कर की रकम पांच हजार रुपए या अधिक हो। यह सीमा 1996 में नियत की गई थी।

स्फीति समायोजन का उपबंध करने के दृष्टिकोण से अग्रिम कर के संदाय के लिए ऊपरी सीमा को वर्तमान पांच हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अग्रिम कर तभी संदेय होगा जब अग्रिम कर दायित्व 10,000 रुपए या उससे अधिक हो।

[खंड 70]

धन-कर के संदाय के लिए सीमा बढ़ाना

धन-कर अधिनियम की धारा 3 के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और कंपनी की मूल्यांकन तारीख पर कुल धन के संबंध में प्रत्येक वर्ष कुल धन की उस रकम के एक प्रतिशत की दर पर धन-कर प्रभारित किया जाता है जो पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो। यह सीमा 1992 में नियत की गई थी।

स्फीति समायोजन का उपबंध करने के दृष्टिकोण से धन-कर के संदाय के लिए ऊपरी सीमा को पंद्रह लाख रुपए से बढ़ाकर तीस लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 31 मार्च, 2010 को कुल धन के मूल्यांकन के लिए लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 82]

परिवाहकों के मामले में किए गए व्यय को अननुज्ञात करने के लिए सीमा बढ़ाना

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां निर्धारिती कोई व्यय उपगत करता है, जिसके संबंध में 20,000 रुपए से अधिक का संदाय खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदाय से भिन्न द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे व्यय को कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

लंबी यात्राओं पर व्यय उपगत करने की यातायात परिवाहकों की विशेष परिस्थितियों में खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राप्ट द्वारा संदाय से भिन्न ऐसे यातायात परिवाहकों को संदाय की सीमा को विद्यमान 20,000/- रुपए से बढ़ाकर 35,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3क) में परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

आय-कर नियम के नियम 6घघ में घोषित अपवादों के अध्यधीन, संदायों के अन्य प्रवर्गों के लिए विद्यमान सीमा 20,000/- रुपए रहेगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 या उसके पश्चात् प्रभावी हुए संव्यवहारों को लागू होगा।

[खंड 16]

धारा 10(23ग) के अधीन कर छूट के लिए आवेदन फाइल करने के लिए समय सीमा बढ़ाना

धारा 10 का खण्ड (23ग) उपबंध करता है कि इसके विभिन्न उपखंडों के अधीन विनिर्दिष्ट संस्थाओं की आय, आय-कर से छूट प्राप्त होगी। कतिपय मामलों में, छूट का दावा करने हेतु अर्ह होने के लिए विहित रीति में विहित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, (1 करोड़ रुपए से अधिक की अभिप्राप्तियों वाली) किसी संस्था को उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए छूट चाही गई है, छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।

व्यवहार में, किसी अर्ह संस्था को यह निर्णय करने के लिए कि छूट के लिए आवेदन फाइल किया जाना अपेक्षित है या नहीं, अपनी वार्षिक अभिप्राप्तियों को अनुमानित करना होता है। प्रायः इससे ऐसी कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे बचा जा सकता है।

इस कठिनाई को कम करने के लिए उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे आवेदन फाइल करने की समय-सीमा को सितंबर की 30 तारीख तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए प्रदान करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, जहां न्यास या संस्था की सकल अभिप्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2008-2009 में एक करोड़ रुपए से अधिक हैं, वह 30 सितंबर, 2009 तक छूट के लिए आवेदन फाइल कर सकेगी।

[खंड 4]

आय-कर अधिनिमय में ''पूर्त प्रयोजन'' संबंधित उपबंधों की परिधि में कतिपय क्रियाकलापों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन

आय-कर अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 2(15) में 'पूर्तप्रयोजन' को (क) निर्धन को अनुतोष, (ख) शिक्षा, (ग) चिकित्सा अनुतोष, और (घ) साधारण लोकोपयोगी किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन को सम्मिलित करते हुए परिभाषित किया गया है। तथापि, ''साधारण लोकोपयोगी किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन'' पूर्तप्रयोजन नहीं होगा यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप, अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में किसी उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई सेवा प्रदान करने का क्रियाकलाप अंतवर्लित है जो ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या अनुप्रयोग अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति से इतर हो।

अब धारा 2(15) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पर्यावरण का संरक्षण (जल संग्रहण समेत); वन और वन्यजीवन का संरक्षण; और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की इमारतों या स्थानों अथवा वस्तुओं के संरक्षण को उपर्युक्त शर्त के लागू होने से परिवर्जित किया जाए जो ''साधारण लोकोपयोगी किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन'' के लिए लागू है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से मूतलक्षी रूप से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर अनुतोष

धारा 115 खखग के वर्तमान उपबंधों के अधीन पूर्णतः धार्मिक संस्थाएं अनाम संदानों पर कराधान से बाहर हैं। आंशिक रूप से धार्मिक या आंशिक रूप से पूर्त संस्थाओं को भी अनाम संदानों पर कराधान से, उन संदानों के सिवाय जो ऐसी संस्था द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक या चिकित्सा संस्था को किए जाते हैं, जिनको किए गए ऐसे संदान 30 प्रतिशत की दर से कराधेय होते हैं, छूट प्रदान की गई है। पूर्णतः पूर्त संस्थाओं के मामले में सभी अनाम संदान 30 प्रतिशत की दर से कराधेय होते हैं।

अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, ऐसे संगठनों को, अनाम संदानों के एक भाग को कर से छूट देकर, अनुतोष प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के निम्नलिखित परिणाम होंगेः-

1. पूर्णतः धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनाम संदान कर से छूट प्राप्त होंगे।
2. आंशिक रूप से धार्मिक या आंशिक रूप से पूर्त संस्थाओं के मामले में, ऐसी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा या शैक्षणिक संस्थाओं को किए जाने वाले अनाम संदान इस सीमा तक कराधेय होंगे जहां ऐसे संदान ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय के 5 प्रतिशत से अधिक या 1 लाख रुपए की राशि, जो भी अधिक हो, तक हो।
3. पूर्णतः पूर्त संस्थाओं के मामले में, अनाम संदान उस सीमा तक कराधेय होंगे जहां ऐसे संदान ऐसे न्यास/संस्था की कुल आय के 5 प्रतिशत से अधिक या 1 लाख रुपए की राशि, जो भी अधिक हो, तक हों।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से लागू होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए लागू होंगे।

[खंड 42]

फर्म में भागीदारों को पारिश्रमिक

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, भागीदारी फर्म के कार्यकारी भागीदारों को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय (जिसे इसके पश्चात् ''पारिश्रमिक'' कहा गया है) को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है यदि इसे भागीदारी विलेख द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा यह धारा 40 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) के अधीन विहित धनीय सीमाओं की सकल सीमा के अधीन हो। विद्यमान सीमाएं निम्नलिखित हैं:

(1) ऐसी फर्म की दशा में जो वृत्ति चलाती है—

(क) बही लाभ के प्रथम 1,00,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में	50,000 रुपए या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से इनमें जो भी अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अगले 1,00,000 रुपए पर	60 प्रतिशत की दर से;
(ग) बही लाभ के अतिशेष पर	40 प्रतिशत की दर से;

(2) किसी अन्य फर्म की दशा में—

(क) बही लाभ के प्रथम 75,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में	50,00,000 रुपए या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें जो अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अगले 75,000 रुपए पर	60 प्रतिशत की दर से।
(ग) बही लाभ के अतिशेष पर	40 प्रतिशत की दर से।

पारिश्रमिक की विद्यमान सीमाओं को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव है। सरलता और प्रशासनिक आसानी के लिए वृत्तिक और गैर वृत्तिक दोनों फर्मों के लिए एक समान पुनरीक्षित सीमाएं निम्नलिखित हैं:

(क) बही लाभ के प्रथम 3,00,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में	1,50,000 रुपए या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें जो भी अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अतिशेष पर	60 प्रतिशत की दर से।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

भविष्य निधियों को मान्यता - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से छूट पाने हेतु समय-सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 4 उन शर्तों का उपबंध करता है जिनका किसी भविष्य निधि द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने या मान्यता बनाए रखने के लिए पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 3 यह उपबंध करता है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी किसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा, जो, नियम 4 और इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में विहित के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करती है जो बोर्ड नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) का पहला परंतुक, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों और ऐसी किसी अन्य शर्तों को पूरा नहीं करती है जो बोर्ड नियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, तो ऐसी निधि की मान्यता को, यदि ऐसी निधि 31 मार्च 2009 को या उसके पूर्व ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है, वापस ले लिया जाएगा। नियम 4 के खंड (डक) की एक अध्यपेक्षा यह है कि स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट चाहने वाले लंबित आवेदनों पर निर्णय के लिए और समय प्रदान करने के दृष्टिकोण से, उक्त परंतुक का संशोधन करने के प्रस्ताव को 31 मार्च, 2009 से 37 दिसंबर, 2010 तक बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

[खंड 80]

इन-हाउस अनुसंधान और विकास के लिए अधिमानित कटौती

घारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में, औषधियों, भेषजियों, इलेक्ट्रानिक उपस्करों, कम्प्यूटरों, दूर संचार उपस्करों, रसायनों या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी कंपनी को 150 प्रतिशत की अधिमानित कटौती अनुज्ञात की जाती है और जिसने विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इन-हाउस वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय (भूमि और भवन पर व्यय के सिवाय) उपगत किया है।

अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में अनुसंधान और विकास को संवर्धित करने की दृष्टि से आय-कर की ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज के सिवाय वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगे सभी कारबारों को अधिमानित कटौती का फायदा विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2010-2011 के संबंध में लागू होंगे। अन्य शब्दों में, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान अनुसंधान और विकास में उपगत व्यय आय-कर की धारा 35(2कख) के अधीन पूर्वोक्त अधिमानित कटौती के लिए इसके बाद पात्र होगा।

[खंड 12]

कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत, कटौती के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त के अधीन रहते हुए उपबंध करती है कि ऐसी संस्थाएं और निधियां, ''पूर्त प्रयोजन'' के लिए स्थापित की जाती हैं।

वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा धारा 2 की उपधारा (15) के संशोधन के परिणामस्वरूप, असंख्य संगठन आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्त नहीं रह गए हैं। तथापि, बिहार में बाढ़ों के लिए वित्तपोषण राहत कार्य तथा अन्य लोक प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान ऐसी संस्थाएं और न्यास दान एकत्रित करने में लगे हुए हैं। दानदाताओं ने इन दानों को इस सद्‌भावपूर्ण विश्वास के अधीन किया है कि वे धारा 80छ के अधीन फायदे के लिए हकदार होंगे। दाताओं की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से एक बार छूट देने और आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन संस्था या निधि का अनुमोदन किया गया है, ऐसी संस्था या निधि, धारा 2 के खंड (15) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी के होते हुएः-

(क) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई समझी जाएंगी;

(ख) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उक्त खंड (vii) के अधीन अनुमोदित की गई समझी जाएंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार केवल, निर्धारण वर्ष, 2009-2010 के संबंध में लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अनुसार, ऐसी संस्था या निधि जिसमें दान किए जाते हैं, आय-कर नियम, 1962 के नियम 11कक में निहित नियमों के अनुसार आय-कर आयुक्त द्वारा अनमोदित किए जाने हैं। इस खंड का परन्तुक यह उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन प्रदान किया गया कोई अनुमोदन ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो पांच निर्धारण वर्षों से अधिक न हों, जैसा अनुमोदन में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रभावी होंगे।

ऐसे अनुमोदनों की विधिमान्यता पर अधिरोपित इस परिसीमा के कारण, अनुमोदित संस्थाओं या निधियों को समय-समय पर अपने अनुमोदनों को नवीकृत कराने की कठिनाई को सहन करना पड़ता है। यह सद्‌भावी संस्थाओं या निधियों के लिए अनुचित रूप से बोझ है और इसका परिणाम नैत्यक रीति में ऐसे अनुमोदन को नवीकृत कराने में कर प्रशासन के समय तथा संसाधनों का अपव्यय भी होता है।

अतः धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के परन्तुक का लोप करने का प्रस्ताव हे जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक बार प्रदान किया गया अनुमोदन चिरस्थायी रूप से विधिमान्य बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, आयुक्त को अनुमोदन वापस लेने की शक्ति भी होगी यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संस्था या निधि के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या संस्था या निधि के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा। तदनुसार, 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले विद्यमान अनुमोदन चिरस्थायी रूप से तब तक विस्तारित किए गए समझे जाएंगे जब तक उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से वापस नहीं ले लिया गया हो। तथापि, 1 अक्तूबर, 2009 को समाप्त होने वाले अनुमोदनों की दशा में, इनका नवीकरण कराना होगा और एक बार नवीकरण हो जाने पर, ये चिरस्थायी रूप से तब तक विधिमान्य रहेंगे जब तक विनिर्दिष्ट रूप से वापस न ले लिए जाएं।

[खंड 33]

अनुमोदन वापस लेने की शक्ति

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए अनुमोदन आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना अपेक्षित है। जबकि आय-कर अधिनियम के कुछ उपबंधों में अनुमोदन वापस लेने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध अन्तर्विष्ट हैं। परन्तु कई मामलों में, ऐसा विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है जिनमें वापस लेने की शक्ति अन्तर्विष्ट हो।

अनुमोदन को वापस लिए जाने की शक्ति के लिए स्पष्ट उपबंधों का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 293ग अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को किसी भी समय ऐसे अनुमोदन वापस लेने की भी शक्तियां होंगी। तथापि, ऐसा प्रत्याहरण संबद्ध निर्धारिती को प्रस्तावित प्रत्याहरण के विरुद्ध कारण बताए जाने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने की शक्ति

धारा 2 के खंड (48) के विद्यमान उपबंध के अधीन अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी ही जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने के लिए सशक्त है जब उन्हें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंक सहित अधिसूचित बैंक को जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने के लिए सशक्त करने के लिए इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे वे अपनी दीर्घावधि निधियों को पोषित कर सकें जिससे अधिसूचित बैंकों को जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने के लिए पात्र बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है— (1) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iiiक) के स्पष्टीकरण में ताकि अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ अधिसूचित बैंक को शामिल किया जा सके; (ii) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (10) में जिससे अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि के साथ अधिसूचित बैंक को शामिल किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3,14,59]

आय-कर अधिनियम, 1961 की तेरहवीं अनुसूची के भाग ख के संशोधन

आय-कर अधिनियम, 1961 की तेरहवीं अनुसूची का भाग ख क्रियाकलापों या वस्तुओं या चीजों की एक सूची का उपबंध करता है जिनका उत्पादन या विनिर्माण अनुज्ञेय नहीं है यदि कोई उपक्रम धारा 80झक के अधीन कटौती का फायदा हिमाचल प्रदेश और उतरांचल राज्यों में अवस्थित उपक्रमों की बाबत लेना चाहता है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कागज उद्योग के संबंध में मदों की सूची का विवरण देते हुए जिनके संबंध में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में अवस्थित नई इकाइयों द्वारा कर अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तारीख 27.6.2008 की अधिसूचना सं.3(1)/2003 एसपीएस जारी की है।

आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को इन दो राज्यों के संबंध में डीआईपीपी की समग्र औद्योगिक नीति के अनुरूप करने के लिए आय-कर अधिनियम, की तेरहवीं अनुसूची के भाग ख का संशोधन करने का और कागज उद्योग के संबंध में तेरहवीं अनुसूची के भाग ख की क्रम संख्या 19 के डीआईपीपी की तारीख 27.6.2008 की अधिसूचना के अनुसार प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 81]

राजनैतिक दलों को अभिदाय के संबंध में कटौती

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छछग कंपनियों और किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदाय की बाबत कटौती का उपबंध करती है।

राजनैतिक दलों को वित्तपोषित करने की प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छछख और धारा 80छछग में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्वाचन न्यासों को दानों की, दाता की आय की संगणना के समय शतप्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जा सके। आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (iiiक) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके ऐसे निर्वाचन न्यासों को दानों को न्यासों की आय माना जा सके जिसे नई अंतःस्थापित धारा 13ख के अनुसार पृथक्तः छूट दी जा सके और पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में शामिल न किया जाए, यदि:—

(क) निर्वाचन न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनीतिक दल को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसे प्राप्त सकल संदानों के पचानवें प्रतिशत को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अधिशेषों, यदि कोई हों, को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान संवितरित करता है।

(ख) निर्वाचन न्यास केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, ''निर्वाचन न्यास'' को धारा 2 के नए खंड (22कककक) में ऐसे न्यास के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3,4,8,34,35]

विनिर्दिष्ट कारबार के लिए निवेश से जुडे कर प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम असंख्य लाभ-संबद्ध छूटों/कटौतियों के लिए उपबंध करता है। ऐसे फायदे अपर्याप्त और असाम्य हैं जो उच्च अनुपालन और प्रशासनिक बोझ अधिरोपित करते हैं, जिनका परिणाम राजस्व हानि, मुकदमे में वृद्धि और वैसे ही कर फायदों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मांग है। इसके अतिरिक्त, लिए गए फायदे कर सेक्टर पर लगे कर से लाभों के छूट प्राप्त या कर न लगाए गए सेक्टर के विचलन को प्रोत्साहित करते हैं। तथापि, विनिधान संबद्ध प्रोत्साहन अपने संघात में कम विकारमय हैं।

प्रपुंज माल के लिए ग्रामीण अवसंरचना और परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक साधन सृजित करने की दृष्टि से निम्नलिखित कारबारों के लिए आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 35कघ अंतःस्थापित करके विनिधान संबद्ध कर प्रोत्साहन का उपबंध करने का प्रस्ताव है।

(क) विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला प्रसुविधाएं स्थापित और प्रचालित करना;

(ख) कृषि उत्पादों के लिए भांडागारण प्रसुविधाएं स्थापित और प्रचालित करना;

(ग) क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस या अपरिष्कृत तेल या पेट्रोलियम वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइपलाइनें बिछाना और उनका प्रचालन और भंडारण सुविधाएं हैं, जो ऐसे नेटवर्क का अभिन्न भाग है।

विनिधान संबद्ध कर-प्रोत्साहनों के नए शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं,—

(i) शतप्रतिशत कटौती उस पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए संपूर्णतः और अनन्यतः उपगत पूंजी स्वरूप के किसी संपूर्ण व्यय की बाबत अनुज्ञात की जाएगी जिसमें ऐसा व्यय उपगत हुआ है।

(ii) पूंजी स्वरूप के व्यय में किसी भूमि या सद्भाव या वित्तीय लिखत के अर्जन पर उपगत कोई व्यय।

(iii) फायदा - उस दशा में उपलब्ध जहां कारबार वितरण के लिए क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नैटवर्क के बिछाने और प्रचालन करने से संबंधित है।

(क) यदि ऐसा कारबार 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन प्रारंभ करता है; और

(ख) किसी अन्य दशा में उपलब्ध होगा यदि ऐसा कारबार 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है।

(iv) निर्धारिती अध्याय 6क के उपबंधों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं करेगा।

(v) किसी ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती जिसके संबंध में कटौती का दावा किया गया है, आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञात की जाएगी।

(vi) किसी पूंजीगत आस्ति के मद्दे प्राप्त या प्राप्य कोई राशि जिसके संबंध में ऐसी स्कीम के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, जिसका ध्वंस हो गया है, नष्ट हो गई है, परित्यक्त हो गई है या अंतरित हो गई है, निर्धारिती की आय के रूप में मानी जाएगी और ''कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी।

(vii) विनिर्दिष्ट कारबार के बाबत संगणित हुई हानि लाभों तथा अभिलाभों के विरुद्ध,यदि कोई अन्य विनिर्दिष्ट कारबार है, के प्रति मुजरा की जाएगी अन्यथा नहीं। इस सीमा तक हानि उसे अनामेलित कर देती है, तो वह आगामी निर्धारण वर्ष आदि में किसी विनिर्दिष्ट कारबार से लाभों और अभिलाभों के विरुद्ध मुजरा के लिए अग्रनीत की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने और उसे प्रचालित करने के कारबार के लिए लाभ संबद्ध कटौती धारा 80झक के अधीन उपबंधित लाभ संबद्ध कटौती बंद कर दी जाएगी। परिणामस्वरूप, इस प्रोत्साहन का लाभ लेने वाला कोई व्यक्ति प्रस्तावित धारा 35कघ के अधीन फायदे का लाभ उठा सकता है।

1 अप्रैल, 2009 को बहियों में पूंजीकृत सीमा तक सभी पूंजी व्यय (भूमि, सद्भावना और वित्तीय लिखत से भिन्न) पूर्ववर्ती वर्ष 2009-10 के लिए उक्त कारबार की कुल आय की संगणना में कटौती के रूप में पूर्णतः अनुज्ञात की जाएगी। यह किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपगत किसी अन्य पूंजी व्यय (भूमि, सद्भावना और वित्तीय लिखत को छोड़कर) के अतिरिक्त होगा।

इस धारा 43 और आय-कर अधिनियम की धारा 50क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पारिणामिक परिवर्तन किए जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी किए जाने प्रस्तावित हैं और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10,13,17,24,28]

धारा 80झक के अधीन कर अवकाश के लिए सीमांत उपबंध का विस्तारण

धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (v) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व वाला कोई ऐसा उपक्रम, जिसे किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र के पुनःसंनिर्माण या पुनरुद्धार के लिए स्थापित किया गया है, 10 वर्ष के कर फायदे का पात्र है, यदि वह निम्नलिखित शर्तो को पूरा करता है;

(i) विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्वामी कंपनी के लेनदारों के प्रतिभूति ब्याज को प्रवर्तित करने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा प्रमुख साम्या भागीदारी के साथ ऐसी कंपनी का सृजन 30.11.2005 से पूर्व किया जाता है;

(ii) ऐसी भारतीय कंपनी को 31.12.2005 से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है; और

(iii) वह उपक्रम 31 मार्च, 2008 से पूर्व विद्युत का उत्पादन या पारेषण या वितरण प्रारंभ कर देता है।

ऐसे उपक्रम की दशा में विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के क्रियाकलाप को प्रारंभ करने की अंतिम तारीख को 31.3.2008 से बढ़ाकर 31.3.2011 करने के लिए धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 और पश्चात्‌र्त्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इसके अतिरिक्त धारा 80झक के अधीन, उपधारा (4) खंड (iv) के उपबंध किसी ऐसे उपक्रम के लाभों और अभिलाभों की कटौती के लिए उपबंध करते है,—

(क) जिसे विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित किया जाता है, यदि वह 1.4.1993 से आरंभ होने वाली और 31.3.2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय विद्युत का उत्पादन आरंभ कर देता है;

(ख) जो 1.4.1994 से आरंभ होने वाली और 31.3.2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है;

(ग) जो 1.4.2004 से आरंभ होने वाली और 31.3.2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारवान्‌ नवीकरण या आधुनिकीकरण प्रारंभ करता है।

इस अंतिम तारीख को, एक वर्ष की और अवधि के लिए 31.3.2011 तक विस्तारित करने के लिए धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

कर प्रोत्साहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए अध्याय 6क में संशोधन

अध्याय 6क में लाभ से जुडी कटौतियों के काफी दुरुपयोग की संभावना है। इसके अतिरिक्त, चूंकि अध्याय 6क के विभिन्न उपबंधों के अधीन कटौतियों का विस्तार परस्पर अतिछादित है, इसलिए कभी-कभी करदाता समान लाभों के लिए बहुल कटौतियों का दावा करते हैं।

इस दुरूपयोग को रोकने के विचार से, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 80क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, अर्थातः-

(i) किसी निर्धारण वर्ष में ''ग-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां'' शीर्ष के अधीन धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक के किसी भी उपबंध के अधीन या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि उसी निर्धारण वर्ष में पूर्वोक्त में से किसी के अधीन इस रकम के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई है;

(ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट विभिन्न उपबंधों के अधीन कटौतीयों का योग, यथास्थिति, उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों से अधिक नहीं होगा;

(iii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट विभिन्न उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि आय की विवरणी में कटौती का दावा नहीं किया गया है।

ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌तवर्ती वर्षों का संबंध में लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने के लिए धारा 80क का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारिती के उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार या उसके किसी अन्य उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कार्रनाई के बीच मालों और सेवाओं के अंतरण मूल्य का अवधारण, अंतरण की तारीख को ऐसे मालों या सेवाओं के बाजार मूल्य पर अवधारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ''बाजार मूल्य'' पद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिससे कि इससे निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) विक्रय या प्रदाय किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में वह मूल्य अभिप्रेत है, जो ऐसे मालों या सेवाओं के लिए प्राप्त होता, यदि उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, कानूनी या विनियामक निर्बंधनों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उनका खुले बाजार में विक्रय किया गया होता;

(ख) अर्जित किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में वह मूल्य अभिप्रेत है, जो ऐसे मालों या सेवाओं की लागत होती, यदि उपक्रम या इकाई या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, कानूनी या विनियामक निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए उनका खुले बाजार से अर्जन किया गया होता।

यह संशोधन 1 अप्रैल,2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार ऐसे सभी मामलों को लागू होगा, जहां उस तारीख को या इसके पश्चात किसी प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां लंबित हैं।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 80झक के अधीन कर अवकाश का दुरुपयोग रोकने के विचार से यह स्पष्ट करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करनरे का प्रसताव किया जाता है कि उक्त धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिण्ट किसी ऐसे कारबार को लागू नहीं गोगी, जो किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय या राज्य सरकार भी है) द्वारा प्रदान की गई संकर्म संविदा की प्रकृति का है और उसकी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा निष्पादित किया जाता है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चातवर्त्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 29,36]

खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगे उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख की उपधारा (9) खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती का उपबंध करती है। किसी उपक्रम को इस उपधारा के अधीन कटौती सात क्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है, जिनमें ऐसा प्रारंभिक निर्धारण वर्ष सम्मिलित है,—

(i) जिसमें उत्पादन अंशभाजन संविदा के अधीन पहलीबार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है; या

(ii) जिसमें खनिज तेल का परिष्करण प्रारंभ हुआ है।

तथापि, इस उपधारा के अधीन ऐसे किसी उपक्रम को जो 1 अप्रैल, 2009 को या इसके पश्चात खनिज तेल का परिष्करण आरंभ करता है, तल तब कटौती उपलब्ध नहीं है,जब तक कि ऐसा उपक्रम इस उपधारा के तीसरे परंतुक में यथा उपबंधित सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थातः—

(i) वह किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या ऐसी किसी अन्य कंपनी के जिसमें कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां कम से कम पैंतालिस प्रतिशत मताधिकार धारण करती हैं, पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है;

(ii) उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 मई, 2008 को या उसके पूर्व इस निमित अधिसूचित किया गया है; और

(iii) वह 31 मार्च, 2012 के अपश्चात परिष्करण आरंभ करता है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, निजी क्षेत्र की परिष्करणियों के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 मार्च, 2009 से पूर्व खनिज परिष्करणी परियोजना को पूरा करें। निजी क्षेत्र के उद्यमियों को, उनकी परिष्करणी परियोजना को पूरा करने के लिए दी गई सूचना की अवधि अत्यधिक कम थी। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे उद्यमियों को, जिन्होंने कर अवकाश का अनुमान लगाते हुए सारवान निवेश किए थे, गंभीर वित्तीय हानियां हुई। अतः, उपधारा (9) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि उन्हें खनिज तेल का परिष्करण आरंभ करने और कर फायदे का लाभ लेने के लिए और तीन वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2012 तक की अवधि अनुज्ञात की जा सके। नई अंतिम तारीख पब्लिक और निजी सेक्टर, दोनों के लिए एक समान होगी।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का भी प्रस्तव किया जाता है, जिससे कि आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (9) के अधीन कर अवकाश को, जो कि अब तक खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण से उद्भूत होने वाले लाभों के संबंध में उपलब्ध थी, ऐसे ब्लाकों से प्राकृतिक गैस को भी विस्तारित किया जा सके, जिन्हें भारत सरका संकल्प सं. ओ.19018/22/95-ओ.एन.जी.डी.ओ.वी.एल. तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा उद्घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन खोज संविदाओं को प्रदान करने के लिए बोलियों के 8वें चक्र के अधीन अनुज्ञप्त किया गया और जो 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं।

उपधारा (9) में ''उपक्रम'' पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः. खनिज तेल के संदर्भ में, ''उपक्रम'' पद का अर्थ काफी विवादित विषय है। कर दाता यह मत रखते हैं कि किसी अनुज्ञप्त ब्लॉक में प्रत्येक कुंआ एकल ''उपक्रम'' है और तदनुसार कर अवकाश ऐसे प्रत्येक कुंए के लिए पृथक रूप से उपलब्ध होगा। तथापि, यह मत विधायी आशय के विपरीत है। तदनुसार, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके उपधारा (9) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि उपधारा (9) के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी एकल संविदा, जिसे भारत सरकार के संकल्प सं.ओ.-19018/22/95-ओ.एन.जी.डी.ओ.वी.एल. तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा उद्घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रदान किया गया है या तत्कालीन प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदान किया गया है या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में प्रदान किया गया है, के अधीन अनुज्ञात सभी ब्लॉकों को एकल ''उपक्रम'' के रुप में माना जाएगा। इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव देना का प्रस्ताव किया गया है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चातवर्त्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। ''उपक्रम'' पद की यह परिभाषा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, दोनों के संबंध में लागू होगी।

[खंड 37]

धारा 80झख की उपधारा (10) के अधीन कटौती के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख की उपधारा (10) किसी उपक्रम द्वारा आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभों से 100 प्रतिशत कटौती का उपबंध करती है। यह फायदा निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए उपलब्ध हैः-

(क) परियोजना का 31 मार्च, 2007 से पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

(ख) परियोजना का संनिर्माण न्यूनतम एक एकड़ के क्षेत्रफल वाले भूखंड पर किया जाता है।

(ग) दिल्ली और मुंबई शहरों में (इन शहरों की नगरीय सीमा के 25 कि.मी. के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए) प्रत्येक आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से और अन्य क्षेत्रों में 1500 वर्ग फुट से अनधिक होना चाहिए।

(घ) आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र, आवासीय परियोजन के कुल निर्मित क्षेत्र के 5 प्रतिशत या, 2000 वर्ग फुट, इनमें जो भी न्यून हो, से कम होना चाहिए।

(ङ) परियोजना को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी परियोजना को अनुमोदित करता है, के अंत से 4 वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

इस कर रियायत का उद्देश्य, निवेश का जोखिम लेने वाले व्यक्ति, अर्थात वास्तविक विकासकर्ता को कर फायदा उपलब्ध कराना है। तथापि, शुद्ध संविदा जोखिम लेने वाला व्यक्ति कर फायदों का हकदार नहीं है।

स्पष्ट करने के विचार से तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80झख की उपधारा (10) के पश्चात एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जो आवास परियोजना को किसी अन्य व्यक्ति (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय या राज्य सरकार भी है) द्वारा दी गई एक संकर्म संविदा के रूप में निष्पादित करता है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-02 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, आवास परियोजनाओं के लिए फायदे का उद्देश्य निम्न और मध्य आय वाले परिवारों के लिए गृह स्टॉक का निर्माण करना है। इसे आवासीय इकाई के आकार को सीमित करके सुनिश्चित किया गया है। तथापि, विकासकर्ताओं द्वारा किसी एकल क्रेता को साथ लगी हुई अनेक इकाइयों के विक्रय का करार करके इस उपबंध की प्रवंचना की जा रही है। तदनुसार, उक्त उपधारा में यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव

किया जाता है कि ऐसे उपक्रम को, जो आवास परियोजना का विकास और निर्माण करता है, ऐसे एक ही व्यक्ति को, जो व्यष्टि नहीं है, आवास परियोजना में एक से अधिक आवासीय इकाई आवंटित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, और जहां ऐसा व्यक्ति व्यष्टि है, वहां ऐसी आवास योजना में निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को कोई अन्य आवासीय इकाई आवंटित नहीं की जाएगीः—

(i) ऐसे व्यष्टि के पति/पत्नी या अव्यस्क बालकों;

(ii) ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यष्टि कर्ता है;

(iii) ऐसे व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि के पति/पत्नी या अवयस्क बालकों या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब का, जिसमें ऐसा व्यष्टि कर्ता है, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्त्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 37]

धारा 10क के अधीन मुक्त व्यापार क्षेत्रों की इकाइयों और धारा 10ख के अधीन निर्यातोन्मुखी उपक्रमों पर सीमांत खंड का विस्तार

विद्यामान उपबंधों के अधीन आय-कर अधिनियम की धारा 10क और धारा 10ख के अधीन कटौतियां केवल निर्धारण वर्ष 2010-11 तक उपलब्ध थीं।

धारा 10क और धारा 10ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इन दोनों धाराओं के अधीन कर फायदों का विस्तार अर्थात् कटौती निर्धारण वर्ष 2011-12 तक उपलब्ध रहेगी।

[खंड 5,7]

आय-कर अधिनियम 1961, की धारा 10(23घ) का संशोधन— ''पब्लिक सेक्टर बैंक'' अभिव्यक्ति के अधीन ''अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों को सम्मिलित करना''

''पब्लिक सेक्टर बैंक'' अभिव्यक्ति को धारा 10 (23घ) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। भारत के रिजर्व बैंक ने ''अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक'' नामक एक नया उप समूह वर्गीकृत किया है। केन्द्रीय सरकार आईडीबीआई लिमिटेड बैंक जिसे भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ने, ''अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है में 51% से अधिक पूंजी धृत करती है।

चूंकि, ''अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक'' को, धारा 10 (23छ) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित ''पब्लिक सेक्टर बैंक'', अभिव्यक्ति में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आय-कर अधिनियम, 1961 के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि ''अन्य, पब्लिक सेक्टर बैंकों'' को विद्यमान परीभाषा में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 2010-2011 और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4]

''विनिर्माण'' पद की परिभाषा

आय-कर अधिनियम के अधीन अनेक कर रियायतें वस्तुओं या चीजों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तथापि, ''विनिर्माण'' पद को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए यह विवादों का विषय बना रहा है और इसका परिणाम अनेक मामलों में न्यायिक पुनरीक्षा रहा है। किसी अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से, जो इस संबंध में अभी भी विद्यमान हो, धारा 2 में एक नया खंड (29खक) अंतःस्थापित करने का पस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, ''विनिर्माता'' से, अपने सभी व्याकरणीय रूपांतरणों सहित ऐसी निर्जीव भौतिक वस्तु या वस्तु या चीज का निम्नलिखित में परिवर्तन अभिप्रेत होगा।

(क) जिसका परिणाम यह होगा कि वह पदार्थ, वस्तु या चीज एक नए पदार्थ या वस्तु या चीज में परिवर्तित हो जाता है जिसका भिन्न नाम, विशेषताएं और प्रयोग है; या

(ख) इस पदार्थ, चीज या वस्तु के एक भिन्न रसायनिक संरचना या अभिन्न अभिसंरचना होता है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

विशेष आर्थिक जोनों में इकाइयों की दशा में छूटप्राप्त लाभों की संगणना के संबंध में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) के अधीन विशेष आर्थिक जोन की इकाई का वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से उद्भूत लाभ छूटप्राप्त लाभ है और उसकी संगणना निम्नानुसार करना अपेक्षित हैः

''वस्तुओं, चीजों या सेवाओं (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) के निर्यात से उद्भूत लाभ वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार से, जो यूनिट है लाभ है उसी अनुपात में कमाता है जैसा कि निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से ऐसी वस्तुओं या चीजों या सेवाओं से कमाता है।''

साधारण शब्दों में, इससे यह अभिप्रेत है कि विशेष आर्थिक जोन इकाई का छूटप्राप्त लाभ निम्नलिखित के बराबर है-

$$\frac{\text{इकाई के कारबार के लाभ x इकाई की निर्यात आवर्त}}{\text{निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार की कुल आवर्त्त}}$$

निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार कुल आवर्त निर्धारिती के कुल आवर्त के प्रतिनिर्देश से कारबार के लाभों की संगणनों की पद्धति वहां तक विभेदकारी समझी जानी है जहां तक उनका संबंध उन निर्धारितियों से है। जो सेज तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) दोनो में ही उन निर्धारितियों के मुकाबले में जिनके पास केवल सेज में यूनिटें थीं, बहु यूनिटें रखते थे. इस विसंगति को दूर करने की दृष्टि से, आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10कक के अधीन कटौती उपक्रम के कुल लाभों के प्रतिनिर्देश से संगणित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

धारा 132 में स्पष्टीकारक संशोधन

आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) तलाशी और अभिग्रहण संक्रियाएं करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट अन्य आय-कर प्राधिकारियों को प्रधिकृत करने के लिए आय-कर प्राधिकारियों को सशक्त करती है। प्राधिकार जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी निम्नवत हैं:-

(i) महानिदेशक या मुख्य आयुक्त;

(ii) निदेशक या आयुक्त; और

(iii) ऐसे संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त जिन्हें ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा सशक्त किया गया है।

ये ऐसे संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त हैं, जिन्हें आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (28ग) और खंड (28घ) के उपबंधों के अनुसार अपर निदेशक या अपर आयुक्त को सम्मिलित करना माना जाता है, विभाग में इस समझ पर आधारित, अपर निदेशकों और अपर आयुक्तों ने प्राधिकार के अधिपत्र जारी किए हैं चूंकि संस्था 1 जून, 1994 को सृजित की गई थी।

तथापि, न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आय-कर अधिनियम की धारा 132 में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशकों या संयुक्त आयुक्तों में ''आपर निदेशक या अपर आयुक्त'' सम्मिलित नहीं है और, इस प्रकार बाद वाले द्वारा जारी किए गए प्राधिकार के अधिपत्र अवैध हैं। तदनुसार, सभी तलाशी और अभिग्रहण संक्रियाओं का अवैध होना घोषित किया गया है।

अतः, धारा 132 के संशोधन स्पष्टीकारक बनाने का प्रस्ताव हे जिससे स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि अपर निदेशक या अपर आयुक्त को सदैव उक्त उपबंधों के अधीन प्राधिकार का अधिपत्र जारी करने की शक्ति रही थी।

यह संशोधन 1 जून, 1994 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 132 का संशोधन करके यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक को ऐसा प्राधिकार जारी करने की शक्ति थी।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 1998 से भूतलक्षी रुप से प्रभावी होगा।

इसी धारा 132क में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अपर निदेशक या अपर आयुक्त को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 1994 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 50,51]

धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण कार्यकारी करने की बाबत स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 147 के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि यदि निर्धारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है तो वह ऐसे निर्धारण के पुनः शुरू करने के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात तो ऐसी आय का निर्धारण कर सकेगा या उसका पुनःनिर्धारण करेगा। इसके अतिरिक्त, वह ऐसी आय का भी निर्धारण या पुनः निर्धारण जो निर्धारण से छूट गई है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आती है।

कुछ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारण अधिकारी को केवल उन मुद्दों की पुनः निर्धारण कार्यवाहियों को निर्बंधित करना पड़ता है जिनकी बाबत निर्धारण को पुनः शरू करने के लिए कारणों का अभिलिखित किया गया है। वह किसी अन्य ऐसे मुद्दे को छूने के लिए सशक्त नहीं है जिसके लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं। उपरोक्त निर्वचन विधायी आशय के प्रतिकूल है।

विधायी आशय को और स्पष्ट करने की दृष्टि से, धारा 147 में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे मुद्दे के संबंध में, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसे मुद्दे के लिए कारण धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित कारणों में सम्मिलित नहीं किया गया है, आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आता है

ये संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1989-1990 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 57]

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष कटौती

धारा 36 [(धारा 36 (1)(viii) की उपधारा (1) का खंड (viii)] वित्तीय निगमों, बैंककारी कंपनियों के लिए किसी आरक्षिति के सृजन के अधीन रहते हुए 20% से अनधिक के लाभों की रकम की विशेष कटौती करने का उपबंध करती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन है और देश में आवास वित्त संस्थाओं के संवर्धन तथा विनियमन में लगा है। यह भारत में आवास के विकास के लिए आवास वित्त संस्थाओं, बैंकों, एआरडीबी, आरआरबी आदि को पुनः वित्तपोषण सहायता का उपबंध करता है। यह गन्दी बस्ती परियोजनाओं, ग्रामीण आवास परियोजनाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तथा निम्न आय समूह प्रवर्गों आदि आवास परियोजनाओं का वित्त पोषण भी करता है। एनएचबी कम्पनी अधिनियम की धारा 44 के अधीन एक अधिसूचित वित्तीय निगम भी है।

एक ऐसा विचार अभिव्यक्त किया गया है कि एनएचबी इस आधार पर धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के फायदों के लिए हकदार नहीं है कि यह आवासीय प्रयोजन के लिए भारत में गृहों के संनिर्माण या क्रय के लिए दीर्घ कालिक वित्तपोषण में नहीं लगा हुआ है। प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि भारत में आवास के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण (जिसमें पुनः वित्तपोषण भी है) का उपबंध करने में लगे निगम धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन फायदे के लिए पात्र होंगे।

1 अप्रैल, 2010 से संशोधन प्रभावी करने का भी प्रस्ताव है, और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में भी लागू होगा।

[खंड 14]

धारा 43 (6) के अधीन बट्टे खाते की परिभाषा

धारा 32 की उपधारा (1) का यह खंड (ii) उपबंध करता है कि अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है और इसकी संगणना आस्तियों के किसी ब्लॉक के लिए विहित प्रतिशत पर की जाएगी। धारा 43 का खंड (6) का उपखंड (ख) उपबंध करता है कि पूर्व वर्ष के पहले अर्जित आस्तियों की दशा में बट्टे खाते का मूल्य निर्धारिती की वास्तविक लागत ऋण आय-कर अधिनियम के अधीन उसे ''वास्तविक अनुज्ञात'' अवक्षयण को गणना में लेकर की जाएगी।

आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क, 7ख और 8 उस स्थिति में मिश्रित आय की संगणना से व्यौहार करते हैं जहां आय भागतः कृषि प्रचालनों से और भागतः आय-कर अधिनियम, 1961 के, ''कारबार से लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य कारबार प्रचालनों से व्युत्पन्न होती है। ये नियम रबड, कॉफी और चाय के विनिर्माण की दशा में संगणना की पद्धति विहित करते हैं। ऐसे मामलों में ऐसी आय जिसे कर के लिए, ''कारबार से आय'' के रूप में आगे लाया जाता है, को मिश्रित आय का एक निश्चित विहित प्रतिशत माना जाता है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीआईटी बनाम डूम डूमा इंडिया लिमिटेड (222 सीटीआर 105) मामले में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ख) में प्रयुक्त अवक्षयण के लिए, ''वास्तविक अनुज्ञात'' भाषा को दृष्टि में रखते हुए जहां कोई आय भागतः कृषि आय है और आय-कर अधिनियम, 1961 के शीर्ष, ''कारबार से लाभ और अभिलाभ'' के अधीन कर से प्रभार्य है, कराधेय आय के लिए कटौती किए गए केवल अवक्षयण को पश्चातवर्ती वर्ष में बट्टे खाते के मूल्य की संगणना के लिए गणना में लिया जा सकता है।

"उदाहरण के लिए नियम 8 चाय के विनिर्माण से आय की कराधेयता विहित करता है। उक्त नियम के अधीन विक्रेता द्वारा उगाई और विनिर्मित चाय के विक्रय से उद्भूत आय की संगणना ऐसे की जाएगी मानो कि यह कारबार से उद्भूत आय थी और ऐसी आय के 40% को कर से प्रभार्य आय माना जाएगा। बट्टे खाते के मूल्य की संगणना में, "वास्तविक अनुज्ञात" अवक्षयण पर न्यायालय के विनिश्चय के परिमामस्वरूप परिणामिक संगणना निम्नानुसार होगीः

	रुपए
तैयार चाय की बिक्री-	1000
घटाएंः व्यय-	
अवक्षयण-(1000 का 10%)	(100)
अन्य व्यय	(300)
मिश्रित आय	600
आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन नियम 8 के लागू होने से प्रभारित आय (600 का 40%)	240
आय जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है (600 का 60%)	360

न्यायालय के निर्वचन के अनुसार तुरंत उत्तरवर्ती वर्षों के लिए नियत आस्तियों का बट्टाखाता मूल्य 960/- रुपए लिया जाएगा(1000 रुपए ऋण 40 रुपए अवक्षयण जो कारबार आय के लिए आवंटित किया जा रहा है) न कि 900 रुपए (1000 रुपए ऋण 100 रुपए अवक्षयण- मिश्रित आय के अवधारण के लिए अनुज्ञात) इस प्रकार अवक्षयण जिसके लिए कृषि आय की संगणना करते समय निर्धारिती को कटौती अनुज्ञात की गई थी,- न्यायालय के विनिर्णय के अनुसार बट्टेखाते के मूल्य की संगणना के लिए उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

उपरोक्त निर्वचन विधायी आशय के अनुसार नही है। बट्टा खाता मूल्य मिश्रित आय से पूरे अवक्षयण की कटौती करके संगणनीय है। इस प्रकार पूर्वोक्त दृष्टांत में तुरंत उत्तरवर्ती वर्ष के लिए नियत आस्तियों का बट्टाखाता मूल्य 900 रुपए लिया गया है न कि 960 रुपए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने विनिर्धारित किया है। इस मामले में अस्पष्टता धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ख) में "वास्तविक अनुज्ञात" अभिव्यक्ति के निर्वचन के कारण उत्पन्न हुई है।

इसलिए यह प्रस्ताव है कि, मिश्रित आय के मामलों की दशा में, इस बात के होते हुए भी कि निर्धारिती से किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय के एक भाग की आय-कर के प्रयोजनों के लिए संगणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, अवक्षयण की संगणना ऐसे की जाएगी मानो कि निर्धारिती की कुल आय, आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा अवक्षयण निर्धारिती को "वास्तविक अनुज्ञात" किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम को आय-कर छूट का विस्तार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम का सृजन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा सृजित किया गया था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशेष उपक्रम भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उत्तरवर्ती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम का आज्ञापक कृत्य तत्कालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मद्दे सरकारी दायित्वों का परिनिर्धारण करना है।

उक्त निरसन अधिनियम की धारा 13(1) द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम को नियत दिन अर्थात् 1 फरवरी, 2003 से संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में किसी आय, व्युत्पन्न लाभों और फायदों अथवा प्राप्त किसी रकम पर किसी आय-कर या किसी अन्य कर से छूट प्राप्त है। यह छूट 31 जनवरी, 2008 को समाप्त होनी थी तथा इस छूट को 31.3.2009 तक और बढ़ाया गया था।

चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम की कुछ स्कीमें बंद होने के लिए लंबित हैं, धारा 13 (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि छूट को पांच वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया जा सके।

उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रुप से प्रभावी होंगे।

[खंड 113]

अनुषंगी फायदा कर

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा कतिपय अनुषंगी फायदों के मूल्य पर एक नया उद्ग्रहण, अर्थात् अनुषंगी फायदा कर (एफबीटी) लगाया गया। इस कर के उपबंधों से संबंधित उपबंध आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 12-ज (धारा 115ब से धारा 115बठ) में अंतर्विष्ट हैं।

अनुषंगी फायदा कर के उत्सादन के लिए एक नई धारा 115बड का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है। जिसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियो को परिलब्धियों के तौर पर अनुषंगी फायदों के करारोपण को पुनर्स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसलिए, धारा 17 के खण्ड (2) का संशोधन भी निम्नानुसार करने का प्रस्ताव है,—

(क) उपखंड (vi) के प्रतिस्थापन द्वारा जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धियों में निर्धारिती निःशुल्क या रियायती दर पर नियोजक द्वारा, या पूर्व नियोजक द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का मूल्य या आबंटित या अंतरित श्रमसाध्य साधारण शेयर सम्मिलित हैं। इस प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर का मूल्य उस तारीख को, जिसको ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के संबंध में निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त या प्राप्त रकम से घटाया गया, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर का मूल्य बाजार मूल्य होगा। ''बाजार मूल्य'' से आशय बोर्ड द्वारा विहित की गई विधि के अनुसार अवधारित मूल्य होगा।

(ख) यह उपबंध करने के लिए कि परिलब्धियों में निर्धारिती के संबंध में नियोजक द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय की रकम, इसके एक लाख रुपए से अनधिक होने की सीमा तक, भी है, उपखण्ड (vii) अंतःस्थापित करके।

(ग) यह उपबंध करने के लिए कि परिलब्धियों में ऐसा कोई अन्य अनुषंगी फायदा या सुखसुविधा भी है, जो विहित की जाए, उपखंड (viii) अंतःस्थापित करके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षो के लिए भी लागू होंगे।

परिणामस्वरूप, यह उपबंध करने के लिए कि जहां पूंजी लाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के अंतरण से उद्भूत होता है, ऐसे प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत बाजार मूल्य होगी जो उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए विचार में ली गई है, धारा 49 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा।

[खंड 9,23,48]

नई पेंशन प्रणाली के लिए कर फायदे

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी, 2004 से प्रवर्तन में आ चुकी है और केन्द्रीय सरकार की सेवा में 1 जनवरी, 2004 से हुई सभी नई भर्तियों के लिए यह बाध्यकारी है। तब से इसे राज्य सरकार द्वारा निजी सेक्टर के कर्मचारिंयों तथा स्वयं नियोजित (संगठित और असंगठित दोनों) व्यक्तियों के लिए प्रारंभ किया जा चुका है। नई पेंशन प्रणाली न्यास का गठन 27 फरवरी, 2008 को फायदाग्राहियों के हित में एनपीएस के अधीन आस्तियों और निधियों के प्रबंधन के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अनुसार किया गया।

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि इस प्रणाली के अधीन बचतों का कर व्यवहार ''छूट-छूट-कर'' (ईईटी) विधि के अनुरूप हो तथा जमा अवस्था पर करारोपण की कोई घटना न हो, जहां तक करारोपण का संबंध है, एन.पी.एस. न्यास को पूर्णतः विश्वसनीय बनाने का प्रस्ताव है। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि,—

(i) आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (44) अंतःस्थापित किया जाए जिसमें यह उपबंध हो कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अधीन 27 फरवरी, 2008 को स्थापित नई पेशंन प्रणाली द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई आय, आय-कर से छूट प्राप्त होगी;

(ii) धारा 115ढ का संशोधन करके उपबंध किया जाए कि एनपीएस न्यास को संदत्त कोई लाभांश, लाभांश वितरण कर से छूट प्राप्त होगा;

(iii) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध हो कि एनपीएस न्यास द्वारा साम्या और व्युत्पन्नों के सभी क्रय और विक्रय प्रतिभूति संव्यवहार कर से छूट प्राप्त होंगे; और

(iv) धारा 197क का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध हो कि एनपीएस न्यास को सभी आय स्रोत पर कर कटौती के बिना प्राप्त होंगी।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगघ के अधीन कर फायदे अब तक ''कर्मचारियों'' को ही उपलब्ध थे। तथापि, एनपीएस को अब ''स्वयं नियोजितों'' तक भी विस्तारित किया गया है। इसलिए धारा 80गगघ की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसके अधीन कर फायदे को ''स्वयं नियोजित'' व्यष्टियों तक भी विस्तारित किया जा सके।

यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने पूर्ववर्ष में कोई रकम प्राप्त नहीं की है, यदि ऐसी रकम का उपयोग इस पूर्ववर्ष में किसी वार्षिकी योजना के क्रय के लिए किया जाता है।

ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4,30,46,62,114]

प्रतिफल रहित या अपर्याप्त प्रतिफल के कतिपय संव्यवहारों का अन्य स्त्रोतों से आय के रूप में कराधान

धारा 56 का उपखंड (vi) यह उपबंध करता है कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविमक्त कुटुंब द्वारा बिना प्रतिफल के प्राप्त कोई "धनराशि" (पचास हजार रूपए की विहित सीमा से अधिक), "अन्य स्त्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्राप्तिकर्ता के हाथों में आय-कर से प्रभारी होगी। तथापि, नातेदारों से प्राप्तियां या विवाह के अवसर पर प्राप्तियां या वसीयत के अधीन प्राप्तियां, आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के उपबंधों के विस्तार से बाहर हैं। इसी प्रकार वस्तु रूप में प्राप्त कोई चीज जिसका धनीय मूल्य है, अर्थात् संपत्ति भी विद्यमान उपबंधों की परिधि से बाहर है।

अतः, यह उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि बिना प्रतिफल के या अपार्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त किसी संपत्ति के मूल्य को भी प्राप्तिकर्ता की कुल आय की संगणना में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों में, वह स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन, या दोनों के रूप में है, शेयर और प्रतिभूतियां, आभूषण, पुरातत्वीय संग्रहण, आलेख, पेंटिंग्स, बुत या कला का कोई अन्य संकर्म सम्मिलित होगा।

इस दशा में, जहां कोई स्थावर संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है और जिसके स्टाम्प शुल्क का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति के संपूर्ण स्टाम्प शुल्क मूल्य को प्राप्तिकर्ता की आय के रूप में कराधेय किया जाएगा। यदि कोई स्थावर संपत्ति ऐसे प्रतिफल पर प्राप्त की जाती है, जो संपत्ति के स्टाम्प शुल्क मूल्य से कम है और दोनों के बीच का अंतर पचास हजार रुाए से कम है (अपर्याप्त प्रतिफल), वहां ऐसी संपत्ति के स्टाम्प शुल्क मूल्य और ऐसे प्रतिफल के बीच के अंतर पर प्राप्तिकर्ता की आय के रूप में कर लगाया जाएगा।

यदि स्थावर संपत्ति के स्टाम्प शुल्क मूल्य के संबंध में निर्धारिती द्वारा विवाद उठाया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसे मामलों में, आय-कर अधिनियम की विद्यमान धारा 50ग और धारा 155 की उपधारा (15) के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों के साथ, ऐसी संपत्ति के मूल्य के अवधारण के लिए लागू होंगे।

इस दशा में, जहां स्थावर संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है और ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य पर प्राप्तिकर्ता की "आय के रूप में कर लगाया जाएगा। यदि किसी स्थावर संपत्ति को ऐसे प्रतिफल पर प्राप्त किया जाता है, जो संपति के कुल उचित बाजार मूल्य से कम है और दोनों के बीच का अंतर पचास हजार रूपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और ऐसे प्रतिफल के बीच के अंतर पर प्राप्तिकर्ता की आय के रूप में कर लगाया जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्तात किया जाता है कि,—

(i) संपत्ति का मूल्य, प्राप्ति की तारीख को उचित बाजार मूल्य होगा; और

(ii) स्थावर संपत्तियों की दशा में, उचित बाजार मूल्य "स्टाम्प शुल्क मूल्य" होगा और जंगम संपत्तियों की दशा में विहित पद्धतियों के अनुसार अवधारित मूल्य होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् किए गए संव्यवहारों के लिए लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्त्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 26]

न्यूनतम वैकल्पिक कर

आय-कर अधिनियम में कर प्रोत्साहनों की भरमार है, जिनका प्रभाव यह है कि कर आधार का सारवान ह्रास हुआ है। चूंकि कर प्रोत्साहन साधारणतया भीषण प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनके विकृत प्रभाव को, उनपर सीमा अधिरोपित करके ही कम/समाप्त किया जा सकता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है।

आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई कंपनी, यदि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के संबंध में आय के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय आय-कर ऐसे न्यूनतम से कम है, तो कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बही लाभों पर न्यूनतम कर का संदाय करे। न्यूनतम कर की दर बही लाभ का दस प्रतिशत है। एमएटी की दर को उसके दस प्रतिशत के विद्यमान स्तर से बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत करने के लिए धारा 115जख की उपधारा (1) को संशोधित करना का प्रस्ताव किया जाता है।

तथापि, ऐसे निर्धारितियों को, जो कंपनियां हैं और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115जख के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर का संदाय करते हैं, अनुतोष उपलब्ध कराने के विचार से, धारा 115जकक की उपधारा (3क) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115जकक की उपधारा (2क) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की राशि को अग्रनीत करने और उसे उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें उक्त धारा की उपधारा (1क) के अधीन कर प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है, तुरंत उत्तरवर्ती दस निर्धारण वर्षों तक मुजरा लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्त्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 44,45]

बही लाभ की संगणना करते समय 'आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध' को पुनः जोडने के संबंध में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 115जख किसी कंपनी के बही लाभों के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है। उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 के अनुसार ''बही लाभ'' पद से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग 2 और भाग 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में यथा उपदर्शित शुद्ध लाभ अभिप्रेत है, जिसे उस धारा में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कतिपय समायोजनों द्वारा बढ़ाया या घटाया गया है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (i) अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि लाभ और हानि लेखे में किसी आस्ति के मूल्य को कम करने के लिए किसी विकलन का उपबंध किया जाता है तो बही लाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसे लाभ और हानि खाते में यथा उपदर्शित अनुसार उसे शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 115जक में उक्त धारा की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण में एक नया खंड (छ) अंतःस्थापित करने के माध्यम से ऐसा ही संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 115जक के संशोधन को 1 अप्रैल 1998 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने का प्रस्ताव है, तद्नुसार निर्धारण वर्ष 1998-99 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे,

धारा 115जख के संशोधन को 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी करने का प्रस्ताव है, तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2001-02 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। *[खंड 43, 45]*

गैर जीवन बीमा कारबार में विनिधान आय/हानि का कराधान

गैर जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना प्रथम अनुसूची के नियम 5 के साथ पठित धारा 44 के अधीन की जाती है। नियम 5 के अनुसार गैर जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों को ऐसा लाभ माना जाता है जिनका प्रकटन वार्षिक लेखे में किया जाता है, जिसकी प्रतियां बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन अपेक्षित हैं, जिन्हें धारा 30 से धारा 43ख के अधीन अनापेक्षित जोखिम और नामंजूरी के लिए समायोजन के अधीन रहते हुए बीमा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

बीमा अधिनियम, 1938 का 1999 में संशोधन किया गया था और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का सृजन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2001-02 में आईआरडीए ने (वित्तीय विवरणियां तैयार करने और बीमा कंपनियों की चार्टर्ड अकाउटेंट की रिपोर्ट) विनियम, 2002 आंरभ किया। बीमा अधिनियम, 1938 की अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के विनियमों को अधिक्रांत कर दिया गया और सामान्य बीमांककों द्वारा लेखे तैयार करने को नए दिशा-निर्देशों और प्ररूपों का आदेश दिया गया गया था। इन परिवर्तित मानकों के अनुसार किसी गैर जीवन बीमा कंपनी के लाभ और हानि लेखे या राजस्व लेखे में विनिधान प्राप्त करने/बिक्री होने पर शामिल करना होता है। यह गैर जीवन बीमा कंपनी की विनिधान आय के कराधान की सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से संगत है।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए आय-कर अधिनियम के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लाभ के कारण या आईआरडीए द्वारा विहित विनियमों के अनुसार विनिधान प्राप्त होने पर लेखों में किसी प्रत्यय की रकम के संबंध में वृद्धि के कारण किसी वृद्धि को आय माना जाएगा और कुल आय की संगणना में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार किसी रकम के संबंध में चाहे बट्टे खाते में डाली गई हो या आईआरडीए द्वारा विहित विनियमों के अनुसार विनिधान प्राप्त होने पर कमी या हानि को पूरा करने के लिए रकम पर कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

बीमा कंपनियों को नई कर पद्धति में समायोजित होने के लिए पर्याप्त समय अनुज्ञात करने के लिए ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगें। *[खंड 79]*

अंतरण के कतिपय मामलों में माने गए मूल्यांकन के लिए उपबंध

धारा 50ग के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां कोई प्रतिफल या किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप उदभूत प्रतिफल ऐसे अंतरण के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी (स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी) द्वारा अंगीकृत मूल्य से कम है, इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना के लिए प्राप्त प्रतिफल या पूरे मूल्य के बराबर समझा जाएगा। तथापि उपबंध का विद्यमान विस्तार में ऐसे संव्यवहार शामिल नहीं है जो स्टांप शुल्क मूल्यांकन प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जिनका निष्पादन विक्रय करार या मुख्तारनामे के माध्यम से किया गया है।

राजस्व की हानि रोकने का निवारण करने के उद्देश्य से धारा 50ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्राप्त प्रतिफल या उद्भूत प्रतिफल किसी पूंजी आस्ति जो भूमि या भवन या दोनो है का परिणाम है, अंगीकृत मूल्य निर्धारित मूल्य या स्टांप शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे अंतरण के संबंध में राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या विनिधारित मूल्य से कम है, को ऐसे अंतरण के परिणाम स्वरूप पूंजी अभिलाभ की संगणना करने के लिए प्राप्त या उद्भूत मूल्य का पूरा मूल्य माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे "निर्धारणीय" पद के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके।

यह संशोधन 1 अक्तुबर, 2009 से प्रभावी होगा और तद्नुसार ऐसी तारीख के पश्चात लागू होने वाले संव्यवहारों को लागू होंगे।

[खंड 25]

स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर प्राप्त प्रतिकर

प्रायः व्यक्ति उसे देय बकाया या वेतन अग्रिम प्राप्त करता है। चूंकि बकाया और अग्रिम वेतन कर के दायी हैं, कुल आय (ऐसे बकाया और अग्रिम सहित) का परिनिर्धारण उस दर से अधिक दर पर किया जाता है जिस पर वह किया जाना चाहिए यदि कुल आय में बकाया और वेतन के अग्रिम को शामिल नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में बकाया और अग्रिम वेतन का परिणाम ऊंचे कर भार के रूप में होता है। इस बढ़े हुए बोझ को कम करने के उद्देश्य से आय-कर अधिनियम की धारा 89 बकायों और अग्रिम के पश्चात्वर्ती विस्तार का उपबंध करता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी अपनी सेवा की शेष अवधि के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त करता है। ऐसी रकम अग्रिम वेतन की प्रकृति की होती है। धारा 10 का खंड (10ग) ऐसी रकम के संबंध में पांच लाख रु. की रकम की छूट का उपबंध करता है। ऐसी छूट का उपबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप एकमुश्त रकम की प्राप्ति पर ब्रैकेट क्रीपिंग की कठिनाई को दूर करने के लिए है। तथापि कुछ करदाता धारा 10 के खंड (10ग) और धारा 89 के अधीन दोनों फायदों का दावा करते हैं। न्यायालयों ने भी इन दावों को माना है।

दोहरे फायदे के दावे को रोकने के विचार से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 89 में एक परंतुक को अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा, उसकी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा के समापन पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसार या धारा 10 के खंड (10ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त हुई या प्राप्य किसी रकम के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि निर्धारिती द्वारा ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा के समापन या स्वैच्छिक पृथक्करण के संबंध में किसी छूट का दावा किया गया है।

तत्समान रूप से, यह उपबंध करने के लिए धारा 10 के खंड (10ग) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी निर्धारिती को, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा के समापन या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त हुई या प्राप्य किसी रकम के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अधीन कोई अनुतोष अनुज्ञात किया गया है, वहां धारा 10 के उपखंड (10ग) के अधीन उसे ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 38]

आय को छिपाने के लिए शास्ति से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 5क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंध किया गया है कि जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी के अनुक्रम में, यह पाया जाता है कि निर्धारिती-(i) किसी धन, सोने-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) का स्वामी है और निर्धारिती यह दावा करता है कि उसके द्वारा ऐसी आस्तियों का अर्जन उसकी किसी पूर्ववर्ष की आय का उपयोग (पूर्णतया या भाग रूप में) करके किया गया है; या (ii) किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रविष्टि या संव्यवहारों के आधार पर किसी आय का स्वामी है और वह यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियों या लेखा बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों में प्रविष्टि या संव्यवहार उसकी किसी पूर्ववर्ष की आय का (पूर्णतया या भाग रूप में) प्रतिनिधित्व करता है, जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो चुका है और उस वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है और निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है, तब इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसी आय के संबंध में उसके द्वारा तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किसी आय की विवरणी में घोषणा कर दी गई है, उसके बारे में, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियों को प्रस्तुत किया है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि स्पष्टीकरण 5क की परिधि ऐसे मामलों पर भी विस्तारित होती है, जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की है और तलाशी के दौरान पायी गई आय ऐसे पूर्ववर्ष से संबंधित है और उसे उक्त विवरणी में प्रकट नहीं किया गया है, तब ऐसी आय छिपाई गई आय समझी जाएगी और निर्धारिती धारा 271 के अधीन शास्ति का संदाय करने का दायी होगा। अतः, धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई किसी तलाशी के दौरान निर्धारिती को—

(i) किसी धन, सोने-चांदी या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) का स्वामी पाया जाता है और वह यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियों को उसके द्वारा, उसकी किसी पूर्ववर्ष की आय (पूर्णतया या भाग रूप में) का उपयोग करते हुए अर्जित किया गया है; या

(ii) किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रविष्टि या संव्यवहारों के आधार पर किसी आय का स्वामी पाया जाता है और वह यह दावा करता है कि लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में की ऐसी प्रविष्टि या संव्यवहार, उसकी किसी ऐसे पूर्ववर्ष की आय का (पूर्णतया या भाग रूप में) प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो चुका है)। और,—

  (क) जहां ऐसे पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी को उक्त तारीख से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया है, परंतु उसमें ऐसी आय की घोषणा नहीं की गई है; या

  (ख) ऐसे पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है, किंतु निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है, तब इस बात पर ध्यान न देते हुए कि उसके द्वारा ऐसी आय की घोषणा तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत विवरणी में कर दी गई है, उसके बारे में, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा और ऐसे मामलों में लागू होगा, जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ की गई है। *[खंड 73]*

दस्तावेज पहचान संख्यांक और इलैक्ट्रानिक संसूचना प्रसुविधा प्रारंभ करना

अब यह भली-भांति स्वीकृत है कि "कर प्रशासन कर नीति है"। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया कोई कर प्रशासन किसी अकुशल कर प्रशासन द्वारा प्रशासित किसी सुचारू कर नीति से अधिक राजस्व अर्जन प्रदान करेगा। अतः, आय-कर विभाग का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह अपनी सेवा के मानकों और कार्यकरण की पारदर्शिता में सुधार करें। अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उसके द्वारा भेजे या प्राप्त किए गए दस्तावेजों को दस्तावेज पहचान संख्यांक (डीआईएन) आबंटित करने और उसका उल्लेख करने की एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली प्रांरभ की जाए, जिससे कि वह दस्तावेजों की खोज करने और करदाताओं की शिकायतों को न्यूनतम करने में समर्थ हो सके।

पूर्वोक्त को प्रभावी करने के विचार से, एक नई धारा 282ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी, उसके द्वारा किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को जारी प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी अन्य पत्र व्यवहार के संबंध में एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित किया जाएगा और ऐसे संख्यांक को उन पर उल्लिखित किया जाएगा।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई किसी सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र व्यवहार में कोई दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं है, वहां ऐसी सूचना, आदेश, पत्र, पत्र-व्यवहार को अविधिमान्य के रूप में माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे कभी जारी नहीं किया गया था।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज पत्र या किसी अन्य पत्र-व्यवहार को एक कम्प्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करने और उस पर उसका उल्लेख करने के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किसी दस्तावेज, पत्र या किसी अन्य पत्र व्यवहार में कोई दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं है, वहां ऐसे दस्तावेज, पत्र या किसी अन्य पत्र व्यवहार को अविधिमान्य के रूप में माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि वह कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2010 से प्रभावी होगा। *[खंड 76, 77]*

आस्ति का अनंतिम कुर्की संबंधी उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

धारा 281ख के उपबंध निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए किसी कार्यवाही को लम्बित रहने के दौरान निर्धारिती की आस्तियों की अनंतिम कुर्की के लिए निर्धारण अधिकारी को सशक्त करते हैं। उपधारा (2) यह और उपबंध करती है कि प्रत्येक कुर्की आदेश उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगा। तथापि, अनंतिम कुर्की आदेश की विधिमान्यता की अवधि दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। उपधारा (2) का दूसरा परन्तुक यह और उपबंध करता है कि जहां धारा 245ग के अधीन परिनिर्धारण के लिए कोई आवेदन किया जाता है, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि में अपवर्जित कर दी जाएगी।

कई मामलों में, निर्धारितियों ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं फाइल की हैं और निर्धारण कार्यवाहियों पर रोक अभिप्राप्त की है। प्रायः ऐसी रोक कई वर्षों तक प्रवर्तन में रहते हैं जिसके दौरान अनंतिम कुर्की आदेश की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है। अतः, धारा 281ख की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि का संगणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1988 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध लागू होंगे।

[खंड 75]

विलंबित प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज के कराधान के लिए उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित गणना की या तो नकद या वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार ही संगणित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रामाबाई बनाम आयकर आयुक्त (181आईटीआर 400) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विलंबित या वर्धित प्रतिकर पर सगंणित ब्याज का बकाया प्रोद्भूत आधार पर करादेय होगा। इससे करदाताओं को अनुचित कठिनाई हुई है।

कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, धारा 145क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त ब्याज उस वर्ष के लिए होने वाली आय समझी जाएगी जिसमें इसे निर्धारिती द्वारा अनुसरित की गई लेखा पद्धति को ध्यान में न रखते हुए प्राप्त किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1998-99 तथा पश्चातवतर्दी निर्धारण वर्षो के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26, 27, 56]

विनिर्दिष्ट विदेशी राज्य क्षेत्रों से करार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 90 केन्द्रीय सरकार को दोहरे कराधान से राहत प्रदान करने के लिए या संबंधित कर परिवर्तन या प्रवचंन की सूचना के आदान प्रदान को सुकर बनाने के लिए भारत बाहर किसी अन्य देश की सरकार से दोहरा कर परिवर्जन करार (डीटीएए) करने के लिए सशक्त बनाता है। अब सरकार गैर संप्रभू अधिकारिताओं के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार या कर सूचना आदान प्रदान करार करके कर के दोहरे कराधान के परिवर्जन को सुकर बनाने के लिए तथा परिवर्जन या प्रवंचना से संबंधित जानकारी के आदान प्रदान के लिए इस सहयोग की परिधि का विस्तार करना चाहती है।

किसी विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र, जो देश नहीं है; के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार (डीटीएए) या कर सूचना के आदान प्रदान का करार (टीआईईए) करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा धन कर अधिनियम की धारा 44क के अधीन तत्सथानी उपबंध में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है। जिससे भारत के बाहर उन गैर-संप्रभु राज्य क्षेत्रों, को सम्मिलित किया जा सके जो इन धाराओं के कार्यक्षेत्र के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

[खंड 39, 83]

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के मामले में सन्निकट कीमत का अवधारण

आयकर अधिनियम की धारा 92ग, किसी सहबद्ध उद्यम के साथ किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की अंतरण कीमत में समायोजन का उपबंध करती है, यदि अंतरण कीमत सन्निकट कीमत के बराबर नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे संव्यवहारों को बड़ी संख्या में समायोजनों के अध्यधीन किया जा रहा है, जिससे काफी विवाद सामने आ रहे हैं। अतः बोर्ड को सुरक्षित बंदरगाह नियम तैयार करने, अर्थात ऐसी परिस्थितियों, जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत को स्वीकार करेंगें, का उपबंध करने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त, धारा 92ग की उपधारा (2) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां सर्वोपयुक्त पद्धति से एक कीमत अवधारित की जाती है वहां ऐसी कीमतों के गणितीय औसत को या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को सन्निकट कीमत माना जाएगा, जो ऐसी गणितीय औसत से, उसके पांच प्रतिशत से अनधिक तक की राशि द्वारा भिन्न हो सकेगी।

उपरोक्त उपबंध के निर्धारितियों और आय-कर विभाग द्वारा परस्पर विरोधी निर्वचन किए गए हैं। निर्धारितियों का मत यह है कि सन्निकट कीमत की संगणना करने के लिए गणितीय औसत में 5 प्रतिशत का समायोजन किया जाना चाहिए। तथापि, विभाग का तर्क यह है कि यदि अंतरण कीमत और गणितीय औसत में, गणितीय औसत के 5 प्रतिशत से अधिक का अंतर है तो गणितीय औसत में कोई मोक करना अपेक्षित नहीं हैं।

इस विवाद का समाधान करने के लिए, यह उपबंध करने हेतु धारा 92ग के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां सर्वोपयुक्त पद्धति के माध्यम से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, वहां ऐसी कीमतों का गणितीय औसत सन्निकट कीमत के रूप में लिया जाएगा। तथापि, यदि इस प्रकार अवधारित गणितीय औसत, अंतरण कीमत के पांच प्रतिशत के भीतर है, तब अंतरण कीमत को सन्निकट कीमत माना जाएगा और कोई समायोजन करना अपेक्षित नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा। तद्नुसार ऐसे सभी मामलों केसंबंध में लागू होगा, जिनमें कार्यवाहियां ऐसी तारीख को या उसके पश्चात अंतरण कीमत अवधारण अधिकारी (टीपीओ) के समक्ष लंबित है।

[खंड 40, 41]

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के गठन का उपबंध

वर्तमान में प्रचलित विवाद समाधान तंत्र समय लगने वाला है और अधिक मांग वाले मामलों में निश्चितता केवल उच्चतम न्यायालय तक लम्बे चले मुकदमें के पश्चात ही प्राप्त की जाती है। विदेशी विनिधान का प्रवाह, कर संबंधी मामलों लम्बी चली अनिश्चितता के प्रति अत्यन्त संवेदशील है। अतः वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो त्वरित आधार पर में विवाद के शीघ्र समाधान को सुगम बनाएगा।

प्रस्तावित वैकल्पिक विवाद समाधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(1) निर्धारण अधिकारी पात्र निर्धारिती को निर्धारण का प्रस्तावित आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रारूप आदेश कहा गया है) का प्रारूप भेजेगा यदि वह आय या हानि विवरणी में किसी फेरफार को 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात करने का प्रस्ताव करता है जिसका ऐसे निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर, अर्ह निर्धारिती प्रारूप आदेश की उसको प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर—

(क) निर्धारण अधिकारी को भिन्नताओं की स्वीकृति फाइल करेगा; या

(ख) ऐसी भिन्नताओं के प्रति अपनी आपत्तियों को, यदि कोई हों,—

(i) विवाद समाधान पैनल; और

(ii) निर्धारण अधिकारी,

को फाइल करेगा।

(3) निर्धारण अधिकारी प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण पूरा करेगा, यदि—

(क) निर्धारिती निर्धारण अधिकारी से भिन्नताओं की स्वीकृति की सूचना देता है; या

(ख) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं।

(4) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी उपधार (3) के अधीन उस मास की समाप्ति से जिसमें, —

(क) स्वीकृति प्राप्त होती है; या

(ख) उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों को फाइल करने की अवधि समाप्त हो जाती है,

एक माह के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा।

(5) उस मामले में जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आपत्तियां प्राप्त होती हैं, विवाद समाधान पैनल, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन हेतु ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे।

(6) समाधान पैनल निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, उपधारा (5) में निर्दिष्ट निदेश जारी करेगा, अर्थात् :—

(क) प्रारूप आदेश;

(ख) निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आपत्तियां;

(ग) निर्धारिती द्वारा दिए गए साक्ष्य;

(घ) निर्धारिती अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण मूल्य अधिकारी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(ङ) प्रारूप आदेश से संबंधित अभिलेख;

(च) इसके द्वारा इकट्ठे किए गए या इकट्ठे करवाए गए साक्ष्य; और

(छ) इसके द्वारा की गई या करवाई गई किसी जांच का परिणाम।

(7) विवाद समाधान पैनल, उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी निदेश को प्रारित करने से पूर्व,—

(क) और जांच कर सकेगा, यदि वह उचित समझे; या

(ख) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई जांच करवाएगा तथा इसके परिणाम की रिपोर्ट करेगा।

(8) विवाद समाधान पैनल प्ररुप आदेश में प्रस्तावित भिन्नताओं की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें कम कर सकेगा या उन्हें बढ़ा सकेगा, तथापि, उपधारा (5) के अधीन और जांच के लिए तथा निर्धारण आदेश पारित करने के लिए किसी प्रस्तावित भिन्नता को अपास्त नहीं करेगा या कोई निदेश जारी नहीं करेगा।

(9) यदि विवाद समाधान पैनल के सदस्य किसी बिंदु पर राय में भिन्नता रखते हैं तो वह बिंदु सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार निर्णीत किया जाएगा।

(10) विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

(11) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों पर जो क्रमानुसार निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी के हितों के प्रतिकूल हैं या राजस्व के हितों के प्रतिकूल हैं, सुनवाई का एक अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(12) उपधारा (5) के अधीन उस मास की समाप्ति से जिसमें प्रारूप आदेश अर्ह निर्धारिती को भेजा जाता है, नौ मास की अवधि के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(13) उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए निदेशों की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, निदेशों के अनुरूप, धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्धारिती को उस मास की समाप्ति से जिसमें निदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर सुनवाई का कोई और अवसर प्रदान किए बिना, निर्धारण को पूर्ण करेगा।

(14) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन अर्ह निर्धारिती द्वारा विवाद समाधान के प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा फाइल की गई आपत्तियों के त्वरित निपटारे हेतु नियम बना सकेगा।

(15) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवाद समाधान पैनल" से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित किए गए तीन आयकर आयुक्तों से मिलकर बना कालेजियम अभिप्रेत हैं;

(ख) अर्ह निर्धारिती से—

(i) धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन पारित अंतरण मूल्य अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति जिसके मामले में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भिन्नता उद्भूत होती है, और

(ii) कोई विदेशी कंपनी, अभिप्रेत है।

और, निम्नलिखित में पारिणामिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है—

(i) धारा 131 की उपधारा (1) जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि "विवाद समाधान पैनल" की वही शक्तियां होंगीं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं;

(ii) धारा 246 की उपधारा (1) के खंड (क) में जिससे अपीलीय आदेश के रूप में "विवाद समाधान पेनल" के निदेशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन पारित निर्धारण आदेश को अपवर्जित किया जा सके और धारा 246 की उपधारा (1) के खंड (ग) में जिससे, अपीलीय आदेश के रूप में ऐसे आदेश की धारा 154 के अधीन पारित किसी आदेश को अपवर्जित किया जा सके;

(iii) धारा 253 की उपधारा (1) में जिससे अपीलीय आदेश के रूप में "विवाद समाधान पेनल" के निदेशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन पारित निर्धारण आदेश को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 49, 55, 71, 72]

उपधारणात्मक आधार पर लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध

आय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंध सीनिर्माण कारबार, माल वाहकों से आय और खुदरा व्यापार के कारबार की दशा में उपधारणात्मक आधार पर आय के कराधान के लिए उपबंध करते हैं।

धारा 44कघ ऐसे निधारितियों के लिए उपधारणात्मक कराधान की पद्धति विहित करती हैं जो सिविल सीनिर्माण या सिविल सीनिर्माण के लिए श्रम की आपूर्ति के कारबार में लगा हुआ है जिसमें सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत के बराबर राशि कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ समझी जाती है। धारा 44ङ के निर्धारितियों के लिए उपधारणात्मक उपबंधों का उपबंध करती है जो ऐसे दस माल वाहनों तक माल वाहनों को चलाने, उन्हें भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है जिसमें प्रति यान विहित राशि निर्धारिती की उपधारणात्मक आय समझी जाती है। धारा 44कङ खुदरा व्यापार के लिए उपधारणात्मक कराधान की पद्धति विहित करती है जिसके अधीन उपधारणात्मक आय की संगणना कुल आर्वत के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की दर पर की जाती है। परिवहन और संचार के विकास तथा अर्थव्यवस्था के साधारण विकास के साथ लघु कारबारों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी संख्या में कारबार और सेवा प्रदाता जो पर्याप्त आय अर्जित करते हैं, करदायरे से बाहर हैं। लघुकारबारों की बारत कर उपधारणात्मक कर उपबन्धों का लघु कारबारों का पुरःस्थापन कर विषयक उपबंधों का, उनके समय तथा संसाधनों का उपभोग किए बिना, अनुपालन करने के लिए अनेक लघु कारबारों की सहायता करेंगे। लघु करदाताओं की उपधारणात्मक आय स्कीम ऐसे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत को कम कर देती है और कर मशीनरी पर प्रशासनिक भार को भी कम करती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक नई धारा 44कघ प्रतिस्थापित करके सभी कारबारों के लिए उपधारणात्मक काराधान की परिधि, का विस्तार करने का प्रस्ताव है प्रस्तावित उपधारणात्मक कराधान स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं :-

(क) यह स्कीम सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों को छोड़कर व्यष्टियों व्यक्तियों, हिंन्दू अविभक्त कुटुम्बों और भागीदारी फर्मों को लागू होगी। यह ऐसे निर्धारिती को भी लागू नहीं होगी जो धारा 10क, 10कक, 10ख, 10खक के अधीन कटौतियों या सुसंगत वर्ष में "ग- कतिपय आयों की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कटौती का लाभ लेता है।

(ख) स्कीम किसी ऐसे कारबार (जिसके अन्तर्गत धारा 44कङ के अधीन पहले से ही आने वाला कारबार नहीं है) के लिए लागू होता है जिसका अधिकतम सकल आर्वत/सकल प्राप्तियां 40 लाख रुपए है।

(ग) आय की उपधारणात्मक दर सकल आर्वत/सकल प्राप्तियों के 8% पर विहित की गई है।

(घ) उपरोक्त स्कीम के लिए विकल्प लेने वाला कोई निर्धारिती आय-कर अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अधीन ऐसे कारबार से संबंधित अग्रिम कर के संदाय से छूट प्राप्त होगा।

(ङ) उपरोक्त स्कीम का विकल्प लेने वाला कोई निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की अपेक्षानुसार ऐसे कारबार से संबंधित लेखा बहियों के रखरखाव से छूट प्राप्त है।

(च) 40 लाख रुपए से कम आवर्त वाला ऐसे निर्धारिती से, इन उपबंधों के अधीन विहित उपधारणात्मक दर से कम आय दर्शित करता है, उसकी कुल आय करादेय सीमा से अधिक होने की दशा में, लेखा बहियों के रखरखाव करने की तथा उन्हें संपरीक्षित कराने की भी अपेक्षा की जाएगी।

(छ) विद्यमान धारा 44कच को 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अप्रवर्तनीय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18, 19, 20, 21, 22]

धारा 44कङ के अधीन ट्रक स्वामियों के लिए उपधाराणात्मक आय

धारा 44कङ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उपधारणात्मक स्कीम माल वाहनों को चलाने, उन्हें भाड़े या पट्टे पर देने के कारबार में लगे निर्धारितियों को उपलब्ध हैं। स्कीम ऐसे निर्धारितियों को लागू होती है जिनके स्वामित्व में किसी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय 10 से अधिक माल वाहक नहीं है।

इस स्कीम के अधीन, जो निर्धारितियों के लिए वैकल्पिक है, भारी माल यान स्वामियों के लिए 3500/- रुपए प्रति मास प्रति यान और हलके माल यानों के स्वामियों के लिए 3150/- प्रतिमास प्रति यान की दर पर आय की नियत रकम ली जाती है। इस स्कीम का विकल्प लेने वाला निर्धारिती आय को साबित करने के लिए लेखा बहियों के रखरखाव से छूट प्राप्त है।

निम्नलिखित के स्वामियों के लिए प्रति यान उपधारणात्मक आय को बढ़ाने का प्रस्ताव हैः-

(i) भारी माल यान की दशा में 5000/- रुपए प्रति मास; और

(ii) भारी माल यानों से भिन्न की दशा में 4500/- रुपए प्रतिमास।

परिवर्जन निवारण खंड का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उल्लेख हो कि विहित नियत राशि या निर्धारिती द्वारा उपार्जित किए जाने का दावा की गई पूर्वोक्त राशि से अधिक कोई राशि ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

सीमित दायित्व भागीदारी का कराधान (एलएलपी)

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008-2009 में प्रभावी हुआ है। सीमित दायित्व भागीदारी नियम (संपरिवर्तन संबंधी कुछ नियमों के सिवाय) और प्ररूप 1 अप्रैल, 2009 से अधिसूचित किए गए हैं।

आय-कर अधिनियम में सीमित दायित्व भागीदारी की कराधान स्कीम को साधारण भागीदारी के लिए चालू विद्यमान कराधान स्कीम अर्थात् अस्तित्व के हाथों में कराधान तथा इसके भागीदारों के हाथों में कर से छूट के रूप में उन्हीं आधारों पर समाविष्ट करने का प्रस्ताव है। "सीमित दायित्व भागीदारी" और साधारण भागीदारी को वैसा ही कर उपचार प्रदान किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि "भागीदार" शब्द के अर्थान्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार भी सम्मिलित होगा, शब्द "फर्म" के अर्थान्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी सम्मिलित होगा और शब्द "भागीदारी" के अर्थान्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी सम्मिलित होगा चूंकि इन पदों को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित किया गया है।

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम उन "अभिहित भागीदारों" के नामनिर्देशन के लिए उपबंध करता है जिन्हें बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह प्रस्ताव है कि अभिहित भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी की आय-कर विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा, या, जहां किसी अपरिहार्य कारणवश ऐसा अभिहित भागीदार विवरणी पर हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है या जहां ऐसा कोई अभिहित भागीदार नहीं है, वहां कोई भी भागीदारी विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी सीमित दायित्व भागीदार के परिसमापन की दशा में, प्रत्येक भागीदार कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से तब तक दायी होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि किसी सकल उपेक्षा, अपकरण या उसकी ओर से कर्तव्य भंग के कारण वसूली न करना नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि सीमित दायित्व भागीदारी और साधारण भागीदारी को अधिनियम में समतुल्य के रूप में (वसूली प्रयोजनों के सिवाय) माना जा रहा है, साधारण भागीदारी फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी फर्म में संपरिवर्तन किए जाने में कोई कर विवक्षाएं नहीं होंगी, यदि भागीदारों की अधिकार और बाध्यताएं संपरिवर्तन के पश्चात् वैसी ही बनी रहती हैं और यदि संपरिवर्तन के पश्चात् किसी आस्ति या दायित्व का कोई अन्तरण नहीं किया जाता है, यदि इन शर्तों का अतिक्रमण किया जाता है तो धारा 45 के उपबंध लागू होंगे।

ऐसे संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जो 1 अप्रैल, 2010 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2010-11 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, 53, 58]

स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) संबंधी उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

स्रोत पर कर कटौती संदाय या प्रत्यय के लिए सरकार की ओर से करों के संग्रहण की एक पद्धति है। आय-कर अधिनियम कटौतीकर्ता पर सही दर पर, सही रकम पर कर की कटौती करने और उसे सरकारी खाते में जमा करने का उत्तरदायित्व सौंपता है। स्रोत पर कर कटौती की दरें भागतः वित्त अधिनियम में और भागतः आय-कर अधिनियम के उपबंधों में विनिर्दिष्ट की गई हैं। कटौतीकर्ताओं से स्रोत पर कर कटौती की कुछ विहित दरों के अतिरिक्त अधिभार और उपकर की संगणना करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कटौतीकर्ता कर की कटौती करने में या कटौती के पश्चात् कर जमा करने में असफल रहता है तो ब्याज, शास्ति और अभियोजन विषयक उपबंध लागू हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के उपबंधों के अधीन, यदि कटौतीकर्ता किसी विहित संदाय किए जाने पर कर कटौती करने में असफल रहता है या समय पर कटौती किए गए कर को जमा करने में असफल रहता है तो उसकी कुल आय की संगणना करते समय सम्पूर्ण व्यय अननुज्ञात कर दिया जाएगा। कटौतीकर्ताओं की उनकी स्रोत पर कर कटौती बाध्यताओं का अनुपालन करने के तथा उनके अनुपालन बोझ को कम करने में सहायता करने के लिए, निम्नानुसार स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है।

क. स्रोत पर कर कटौती दरों का सुव्यवस्थीयकरण

अ. आय-कर अधिनियम की धारा 194-ठ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, भाटक संदायों पर स्रोत पर कर कटौती निम्नलिखित दर पर विहित की गई है :-

(क) किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए 10%,

(ख) किसी भूमि या भवन या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए 15%, यदि संदायकर्ता एक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, और

(ग) 20% यदि संदायी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न है।

वर्तमान दरों को निम्नवर्ती पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि कई मामलों में उनसे कार्यकारी पूंजी निधि का अवरोध होता है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि निम्नानुसार किराया संदायों पर स्रोत पर कर कटौती को सुव्यवस्थित तथा कम किया जाएः

(क) किसी मशीनरी या प्लांट या उपस्कर के प्रयोग के लिए 2%,

(ख) सभी व्यक्तियों के लिए किसी भूमि या भवन या फर्नीचर या फिटिंग के प्रयोग के लिए 10%

संदाय की प्रकृति	*विद्यमान दर*	*प्रस्तावित दर** (1-10-2009 से प्रभावी)*
किराया—		
क. संयंत्र मशीनरी या उपस्कर का किराया	10%	2%
ख. व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को भूमि, भवन या फर्नीचर का किराया	15%	10%
ग. व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति को भूमि, भवन या फर्नीचर का किराया	20%	10%

* *सभी मामलों में स्रोत कर कटौती की दर 20 प्रतिशत होगी, यदि 1.04.2010 से कटौती करवाने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्यांक (पीएएन) का वर्णन नहीं किया जाता है।*

आ. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन संविदा के लिए संदाय पर स्रोत पर कर कटौती 2% की दर पर होती है। तथापि, उप-संविदा की दशा में स्रोत पर कर कटौती 1% की दर पर होती है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन संविदा के लिए संदाय की दशा में, स्रोत पर कर कटौती 1% की दर पर किया जाना अपेक्षित है।

संविदा के उप संविदा के रूप में वर्गीकरण के संबंध में होने वाले विवादों की गुंजाइश कम करने के लिए, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों दोनों के लिए संदायों हेतु स्रोत पर कर कटौती समान रूप से विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है। स्रोत पर कर कटौती के सुव्यवस्थीकरण तथा बहु वर्गीकरण को हटाने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि विज्ञापन संविदाओं के लिए संदाय की दशा में स्रोत पर कर कटौती की दर समान की जाए। छोटे ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों को कठिनाई से बचाने के लिए, जिनमें से अधिकतर व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के रूप में संगठित हैं, स्रोत पर कर कटौती की निम्नलिखित दरें विहित करना प्रस्तावित है :

क. 1% जहां संविदा के लिए संदाय व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को किया जाता है

ख. 2% जहां सिवाद के लिए संदाय किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है।

संदाय की प्रकृति (194ग)	*विद्यमान दर*	*प्रस्तावित दर*** *(1-10-2009 से प्रभावी)*
निम्नलिखित को संदाय—		
क. व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ठेकेदार	2%	1%
ख. व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न ठेकेदार	2%	2%
ग. व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब उप-ठेकेदार	1%	1%
घ. व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब उप-ठेकेदार से भिन्न	1%	2%
ङ विज्ञापन के लिए व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ठेकेदार/उप-ठेकेदार	1%	1%
च. विज्ञापन के लिए व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ठेकेदार/उप-ठेकेदार से भिन्न	1%	1%
छ. यातायात कराबार में उप-ठेकेदार	1%	शून्य*
ज. यातायात कारबार में ठेकेदार	2%	शून्य*

* *शून्य दर लागू होगी यदि परिवाहक अपना स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) वर्णित करता है। यदि स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) वर्णित नहीं है तो 31.3.2010 व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब परिवाहक के लिए दर 1% तथा अन्य परिवाहकों के लिए दर 2% होगी।*

** *सभी दशाओं में स्रोत पर कर कटौती की दर 20% होगी, यदि 1.04.2010 से कटौती करवाने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) का वर्णन नहीं किया जाता है।*

इ. इसके अतिरिक्त निवासी कर दाताओं के लिए विनिर्दिष्ट स्रोत पर कर कटौती की कुछ दरें कम की गई हैं तथा 10 प्रतिशत की दर पर संपरिवर्तित की गई है।

ई. स्रोत पर कर कटौती की संगणना को आसान करने के लिए, निवासी कर दाताओं को किए गए गैर-वेतन संदायों पर कटौती किए गए कर पर अधिभार और उपकर को हटाना प्रस्तावित है।

ख. परिवाहकों को संदाय और स्रोत पर कर कटौती के लिए उपबंध

धारा 194ग के अधीन, माल वाहन को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार लगे हुए परिवहन ठेकेदारों को संदाय पर कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि वे कथन करने हैं कि वे दो से अधिक माल वाहन के स्वामी नहीं हैं तो कर की स्रोत पर कटौती नहीं की जाती। परिवहन प्रचालन स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त करने में समस्या की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि ये ग्राहकों द्वारा तुरंत जारी नहीं किए जाते हैं और वे ग्राहक तक पुनःपहुंचने में समर्थ नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने कारबार के लिए संपूर्ण देश में जाना होता है। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती के दायरे से परिवहन प्रचालकों को (जैसा कि धारा 44कङ में परिभाषित है) संदाय से छूट दी जाए।

तथापि, यह उन्ही मामलों में लागू होगा जहां प्रचालक कटौतीकर्ता को अपने स्थायी लेखा संख्यांक (पीएएन) का वर्णन करता है कटौतीकर्ता, जो स्रोत पर कर कटौती किए बिना परिवहाकों को संदाय करता है (क्योंकि उन्होंने स्थायी लेखा संख्यांक (पीएएन) का वर्णन कर दिया है), से यह अपेक्षित होगा कि वे इन स्थायी लेखा संख्यांक (पीएएन) वर्णनों को विहित प्ररुप में आय-कर विभाग को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 40क(3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है। जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय 20,000 रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है, वहां ऐसे व्यय का बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। चूंकि बड़ी संख्या में छोटे ट्रक स्वामियों/चालकों के पास थोड़ी प्रचालन पूंजी होती है और उनके बैंक खाते उनके गृह नगरों के बाहर नहीं होते, वे लम्बी यात्राओं पर जाने के लिए नकद संदाय पर जोर देते हैं, क्योंकि उन्हें यात्रा के दौरान डीजल, भोजन और मरम्मत आदि पर व्यय वहन करने के लिए नकद की आवश्यकता होती है और साधारणतः ऐसे व्यय 20,000/- रुपए से अधिक होते हैं। इससे उन व्यक्तियों को प्रचालनात्मक समस्याएं होती है, जिन्हें अपनी सेवाओं के लिए संदाय करना पड़ता है।

इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे परिवहन प्रचालकों को नकद संदाय की दर को विद्यमान 20,000/- रुपए की सीमा से बढ़ाकर 35,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् होने वाले संव्यवहारों को लागू होंगे।

ग. धारा 194ग के अधीन "काम" के संबंध में स्पष्टीकरण

इस मुद्दे को लेकर मुकदमेबाजी होगी रहती हैं कि क्या धारा 194ग के अधीन आउटसोर्सिंग संविदाओं पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है या नहीं और क्या आउटसोर्सिंग 'काम' के अंतर्गत आता है या नहीं। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि काम के अंतर्गत ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किए गए कच्चे माल का उपयोग कर ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार किसी उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय नहीं होगा क्योंकि ऐसी संविदा 'क्रय' के लिए संविदा है। तथापि, यह उस संविदा को लागू नहीं होगा जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या प्रदाय को अपरिहार्य नहीं बनाता (जैसे कि संनिर्माण संविदा)। यह भी प्रस्ताव है कि 'काम' की परिभाषा के अंतर्गत, ग्राहक से क्रय की गई सामग्री का उपयोग कर ऐसे ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार किसी उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय को सम्मिलित किया जाए। यह और भी उपबंध करना प्रस्तावित है कि ऐसे मामले में स्रोत पर कर की कटौती, यदि ऐसा मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित किया गया है, तो सामग्री के मूल्य को छोड़कर बीजक मूल्य पर या यदि सामग्री का मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित नहीं किया गया है, तो संपूर्ण बीजक मूल्य पर की जाएगी।

इन संशोधनों को 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी किया जाना भी प्रस्तावित है। तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 को या उशके पश्चात् हुए प्रत्ययों या संदाय को लागू होंगे।

घ. टीडीएस व्यवस्था के माध्यम से स्थायी खाता संख्यांक का उल्लेख करने संबंधी उपबंधों के अनुपालन में सुधार करना

स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के विवरण में कटौती करवाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्यांक (पेन) के उल्लेख को आज्ञापक बनाने वाले कानूनी उपबंध, जो सम्यक रूप से शास्तिक उपबंधों से लैस हैं, 2001 से विद्यमान है, स्थायी खाता संख्यांक (पीएएन) के आवंटन की प्रक्रिया सरल कर दी गई है ताकि प्रत्येक वर्ष 75 लाख से अधिक पीएएन आबंटित किए जा सकें। पिछले तीन वर्षों से पीएएन का वर्णन करने के लिए प्रचार अभियान जारी हैं। पीएएन के आबंटन में लगने वाला औसत समय गिरकर 10 दिवस हो गया है। इसलिए पीएएन की अनुपलब्धता अब अड़चन नहीं रही है। कई मामलों में, कटौती करवाने वालों द्वारा पीएएन का वर्णन नहीं करना आय की विवरणी प्रक्रियागत करने तथा स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय देने में समस्याएं उत्पन्न करता है, जिससे प्रतिदाय के विवाद्यकों में देरी होती है।

पीएएन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, आय-कर अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिप्राप्तियां स्रोत पर कर कटौती के अध्यधीन हैं अर्थात कटौती करवाने वाला, बाध्यकारी रूप से कटौतीकर्ता को अपने पीएएन का वर्णन करेगा, जिसमें असफल रहने पर कटौतीकर्ता निम्नलिखित दरों से अधिक पर स्रोत पर कर कटौती करेगा—

(i) अधिनियम में विहित दर;

(ii) प्रवर्तन में दर अर्थात वित्त अधिनियम में वर्णित दर; या

(iii) 20 प्रतिशत की दर पर।

उपर्युक्त वर्णित दरों पर कटौती योग्य स्रोत पर कर कटौती उन मामलों में भी लागू होगी जहां कर दाता (धारा 197 क के अधीन) प्ररुप 15छ या प्ररुप 15ज में घोषणा फाइल करता है किन्तु अपना पीएएन वर्णित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त नही किया जाएगा यदि आवेदन पर आवेदक का पीएएन अंतर्विष्ट नहीं है।

ये उपबंध अनिवासियों को भी लागू होंगे जहां स्रोत पर कर कटौती उन्हें किए गए संदायों या प्रत्ययों पर कटौती योग्य हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौतीकर्ता कटौती करवाने वाले के सही पीएएन के बारे में जानता है, यह भी प्रस्ताव है कि कटौतीकर्ता और कटौती करवाने वाले के बीच में होने वाले सभी पत्र व्यवहारों, बिलों और वाउचरों में कटौतीकर्ता और कटौती करवाने वाले के लिए पीएएन का वर्णन करना बाध्यकारी बनाया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

[खंड 16, खंड 60, खंड 61]

ङ. स्रोत पर कर कटौती की विवरणी को प्रक्रियागत करना

वर्तमान में स्रोत पर कर कटौती की सभी विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक रीति में फाइल की जाती हैं। इसलिए, इन विवरणियों को प्रक्रियागत करना केवल कम्प्यूटरीकृत वातावरण में होना चाहिए। इसलिए स्रोत पर कर कटौती को कम्प्यूटर पर प्रक्रियागत करने का उपबंध प्रस्तावित है जिससे स्रोत पर कर कटौती के संदाय में ब्याज और अन्य व्यतिक्रमों की बाबत् होने वाले दायित्व तत्परता से संगणित करके कटौतीकर्ता को सूचित किए जा सकें। कम्प्यूटर पर स्रोत पर कर कटौती को प्रक्रियागत करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि आय-कर विवरणियों को प्रक्रियागत करने के अनुरुप इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपबंध करना प्रस्तावित है।

यह प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती के कथन की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित समायोजन किए जा सकते हैं :

(i) विवरणी में कोई अंक गणितीय त्रुटि; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट होता है, उदाहरण के लिए स्रोत पर कर कटौती की दर के संबंध में जहां ऐसी दर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि समायोजन करने के पश्चात् कर और ब्याज (जैसे धारा 201(1क) के अधीन) संगणित किया जाएगा तथा कटौतीकर्ता द्वारा संदेय राशि या कटौतीकर्ता पर शोध्य प्रतिदाय अवधारित किया जाएगा। कटौतीकर्ता को उसके कर दायित्व या उसे शोध्य प्रतिदाय अनुदत्त करते हुए उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें विवरणी फाइल की जाती है, एक वर्ष के भीतर सूचना दैते हुए इत्तिला भेजी जाएगी। यह भी प्रस्ताव है कि इन विवरणियों को प्रक्रियागत करना एक केंन्द्रीकृत प्रक्रिया केंद्र में किया जा सकता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

[खंड 64, खड 65]

च. किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती निर्धारित करने के लिए धारा 201(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए समय सीमा का उपबंध

इस समय आय-कर अधिनियम किसी व्यक्ति के व्यतिक्रमी निर्धारिती निर्धारित करने के लिए धारा 201(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए किसी समय-सीमा का उपबंध नहीं करता है। ऐसी समय-सीमा के अभाव में सारवान, समय समाप्त होने पर जब कार्यवाही की जाती है तो विवाद उत्पन्न होते है।

इस मुद्दे पर निश्चितता लाने के लिए इस अधिनियम में अभिव्यक्त समय का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिसके भीतर धारा 201(1) के अधीन विशिष्ट आदेश पारित किए जांएगे।

यह प्रस्ताव है कि इस अधिनियम के अधीन पूर्ण या किसी भाग के अधीन अपेक्षित कर की कटौती में असफलता के लिए यदि कटौतीकर्ता निवासी कर दाता है तो आदेश धारा 201(1) के अधीन उस वित्त वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर जिसमें कटौतीकर्ता द्वारा कर कटौती की विवरणी फाइल की गई थी पारित किया जाएगा। जहां ऐसी कोई विवरणी फाइल नहीं की जाती है वहां ऐसा आदेश उस वित्त वर्ष की समाप्ति के जिसमें संदाय किया गया था या प्रत्यय दिया गया था से 4 वर्षो के भीतर किया जा सकेगा। लम्बित मामलों में समुचित समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह उपबंध करने का प्रस्ताव हैं कि ऐसी कार्यवाहियां 1 अप्रैल, 2007 को आरम्भ होने वाले वित्त वर्ष के लिए और उससे पहले के वर्षों के लिए 31 मार्च, 2011 तक पूरी की जा सकेंगी।

तथापि धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन किसी समय-सीमा का उपबंध नहीं किया गया है जहां—

(क) कटौतीकर्ता ने स्रोत पर कर की कटौती की है पर उसका निक्षेप नहीं किया है मानो यह सरकारी देयों के गबन का मामला हो,

(ख) नियोक्ता धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने में पूर्णतः या भागतः असफल रहा है मानों कि कर्मचारी ने ऐसी परिलब्धियों पर कर का संदाय न किया हो,

(ग) कटौती करवाने वाला अनिवासी है मानों कि प्रशासनिक रूप से ऐसे अनिवासी से कर वसूली संभव न हो।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। तदनुसार यह 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् पारित होने वाले आदेशों को लागू होंगे।

[खंड 65]

छ. स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण विवरणियां फाइल करना

आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति से जो अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करता है विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसी प्रकार स्रोत पर कर संग्रहण की त्रैमासिक विवरणियां फाइल करने का उपबंध अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा 3 में है। इसके अतिरिक्त धारा 206क निवासियों को कर की कटौती किए बिना ब्याज के संदाय की त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने का उपबंध करती है।

स्रोत पर कर कटौती से संबंधित ऐसी विवरणियों की अवधि का विनिश्चय करने के लिए प्रशासनिक नम्यता का उपबंध करने के लिए विद्यमान उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे सरकार को स्रोत पर कर कटौती की ऐसी अवधियों का उनके प्ररुप और रीति के अलावा अवधि का विनिश्चय करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

ये उपबंध 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होंगे।

[खंड 52, 63, 66, 67, 69, 74]

वस्तु संव्यवहार कर

वस्तु संव्यवहार कर के उपबंध वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 द्वारा लागू किए गए थे। तथापि इस उदग्रहण को अभी लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 में एक नई धारा 121क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे वस्तु संव्यवहार कर का यह अध्याय 1 अप्रैल 2009 को या उसके पश्चात लागू नहीं होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (16) में उक्त खंड का लोप करके पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे।

[खंड 115]

"आस्तियों के ब्लाक" की परिभाषा को एक समान करना

"आस्तियों के ब्लाक" को आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) और धारा 32 की उप धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में परिभाषित किया गया है। तथापि ये परिभाषाएं एक समान नहीं है इसलिए इनका दुरुपयोग हो सकता है। तदनुसार आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें "आस्तियों के ब्लाक" की परिभाषा का लोप किया जा सके। परिणामस्वरुप, "आस्तियों के ब्लाक" का अर्थ केवल धारा 2 के खंड (11) से ही लिया जाएगा।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार ये निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 11]

विवरणियों का केन्द्रीकृत प्रसंस्करण

आय-कर विभाग बैंगलूरु में आय-कर विवरणियों और अनुषंगी फायदा कर विवरणियों के केन्द्रीकृत प्रंसस्करण के लिए एक केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को विवरणियों के प्रसंस्करण के संबंध में विधि के किसी उपबंध को उपांतरित करने अंगिकार करने, शिथिल करने के लिए इस शर्त के अधीन कि ऐसा शिथिलिकरण अंगिकरण या उपांतरण के लिए अधिसूचना 31 मार्च, 2009 से पहले जारी की जाएगी और उक्त अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी, सशक्त किया गया है। चुंकि इस केन्द्र ने अभी प्रचालन आरम्भ नहीं किया है इसलिए बोर्ड को 31 मार्च, 2010 तक की अग्रिम अवधि विवरणियों से संबंधित विधियों को शिथिल करने, उपांतरित करने या अंगिकर करने के लिए अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे।

[खंड 47, 54]

सीमाशुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत सीमा-शुल्क अभिप्रेत है।*

(ख) "सी वी डी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "विशेष सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः

क. स्वास्थ्य देखभाल

(1) 10 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक ओषधियों/वैक्सीनों तथा उनकी प्रपुंज ओषधियों पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी सहित (उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में) 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) विनिर्दिष्ट ह्रदय युक्तियों अर्थात कृत्रिम ह्रदय और पीडीए/एएसडी अवरोधन युक्ति पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी सहित (उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में) 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर

(1) एलसीडी टेलिविजनों के लिए एलसीडी पेनलों पर सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) टेलिविजन प्रसारण के लिए सेट टाप बाक्स पर सीमाशुल्क छूट वापस ले ली गई है और 5% सीमाशुल्क अधिरोपित कर दिया गया है।

(3) मोबाइल फोनों और उपसाधनों के विनिर्माण के पुर्जों पर 4% विशेष सीवीडी से पूर्ण छूट एक वर्ष के लिए अर्थात 6.7.2010 तक पुनःआरंभ की गई है।

ग. नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर

(1) वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों में प्रयुक्त 500 केवी से अधिक पीएम तुल्यकालिक जनित्र के स्थायी चुम्बकों पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) जैव डीजल पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है।

घ. पूंजी माल

(1) चाय, काफी और रबड़ बागानों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर 5% का रियायती सीमाशुल्क एक वर्ष के लिए अर्थात 6.7.2010 तक पुनःआरंभ किया गया है।

(2) काफी बागानों के लिए "यांत्रिक लुनेरा" पर सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऐसे लुनेरों पर सीवीडी को, उत्पाद-शुल्क छूट के रूप में 8% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ङ निर्यात सेक्टर

(1) वर्तमान में, खेल सामान के विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री/इनपुट, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। ऐसी मदों की सूची को इसमें पांच अतिरिक्त मदें सम्मिलित करके विस्तारित किया गया है।

(2) इसी प्रकार, चमड़ा माल, टेक्सटाइल उत्पादों तथा जूतादि उद्योग के विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और उपस्कर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। ऐसी मदों की सूची का अतिरिक्त मदों को सम्मिलित करके विस्तार किया गया है।

(3) अकर्मित मूंगों पर सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

च. बहुमूल्य धातु

(1) क्रमशः संख्याकित स्वर्ण छडों (तोला छडों और स्वर्ण सिक्कों से भिन्न) पर सीमाशुल्क 100 रु. प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति दस ग्राम कर दिया गया है।

(2) स्वर्ण की अन्य प्रकारों पर सीमाशुल्क 250 रु. प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 500 रु. प्रति दस ग्राम कर दिया गया है।

(3) चांदी पर सीमाशुल्क 500 रु. प्रति कि. ग्रा. से बढ़ाकर 1000 रु. प्रति कि. ग्रा. कर दिया गया है।

जब स्वर्ण तथा चांदी (जिसमें आभूषण भी हैं) व्यक्तिगत सामान के रूप में आयात की जाती है तो दरों में उपरोक्त वृद्धि भी लागू होगी।

छ. टेक्सटाइल

(1) सूती अपशिष्ट पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(2) ऊनी अपशिष्ट पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

ज. प्रकीर्ण

(1) रॉक फास्फेट पर सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

(2) एरियल यात्री रोपवे परियोजनाओं पर सीवीडी छूट को वापस ले लिया गया है। ऐसी परियोजनाओं पर अब लागू सीवीडी देय होगा।

(3) 50 कम प्रति घंटा या अधिक की क्षमता वाले कंक्रीट बैचिंग संयंत्रों से सीमाशुल्क छूट को वापस ले लिया गया है। ऐसे संयंत्रों पर अब 7.5% सीमाशुल्क लगेगा।

(4) पैक या कैन सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग पर सीवीडी छूट का उपबंध किया गया है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिभार के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है।

(5) हवा भरे जा सकने वाले राफ्टों, स्नो स्की, वाटर स्की, सर्फ बोटों, सेल बोर्डों और अन्य जल क्रीड़ा उपस्करों को सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है।

झ. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

[जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ये परिवर्तन वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में एक नई धारा 26क अन्तःस्थापित की जा रही है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आयातक और विक्रेता के बीच सहमत विशिष्टियों के अनुरुप माल के न पाए जाने पर या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आयातित माल पर संदत्त निर्यात शुल्क के प्रतिदाय के लिए उपबंध किया जा सके। धारा 157 में भी पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च में संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के गठन की बाबत कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत कर सकतीहै। यह परिवर्तन अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 का भूतलक्षी रूप से तारीख 1.07.2003 से संशोधन किया जा रहा है जिससे विहित अवधि के पश्चात् अपील फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने के लिए एक अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130क का भूतलक्षी रूप से तारीख 1.07.1999 से संशोधन किया जा रहा है जिससे विहित अवधि के पश्चात् आवेदन या प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने के लिए एक अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 137 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपराधों के उपशमन की रीति और कतिपय अपराधों का उपशमन न किया जाए। धारा 156 में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

ञ. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

[ये परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]

(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित वस्तु पर केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संग्रहण के लिए नियत टैरिफ मूल्य है, वैसी ही आयातित वस्तु के लिए उतना ही टैरिफ मूल्य हो।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधित उपबधों का विस्तार करके इन धाराओं के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के लिए सुरक्षोपाय किए जा सकें।

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी उपबंधों को इस धारा के अधीन उद्गृहीत प्रति पाटन शुल्क पर विस्तारित किया जा सके।

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क का संशोधन किया जा रहा है ताकि,—

(क) यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में पाटन के अंतर का अवधारण ऐसे निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार पर और असहयोगी निर्यातक या उत्पादक की दशा में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाए।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तंत्र से संबंधित मशीनरी से संबंधित उपबंधों को इस धारा के अधीन उद्गृहीत प्रतिपाटन शुल्कों तक भूतलक्षी रूप से विस्तारित किया जा सके।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11 के टिप्पण 2 के पैरा (क) को एक नए पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे इसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के समान उपबंधों के अनुरुप किया जा सके।

(6) अधिसूचना संख्यांक 40/2006-सीमाशुल्क तारीख 01.05.2006 को भूतलक्षी रूप से इसके जारी किए जाने की तारीख से संशोधित किया जा रहा है, जिससे,

(क) ऐसी सामग्रियों के संबंध में जो स्थानीय रूप से उपाप्त की गई हैं और निःशुल्क आयात प्राधिकार स्कीम के अधीन आयात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त की गई हैं, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के अधीन रिबेट की सुविधा अनुज्ञात की जा सके।

(ख) यह उपबंध किया जा सके कि निःशुल्क पुनःपूर्तियों का, जिनके संबंध में नियम 18 या नियम 19 के अधीन सुविधाओं का उपभोग किया गया है, निर्यातकर्ता के कारखाने में या उसके सहायक विनिर्माता के कारखाने में निर्यात बाध्यता के निर्वहन के पश्चात भी शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ग) यह उपबंध किया जा सके कि आयातकर्ता उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर राशि का संदाय करेगा यदि सामग्री को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राधिकार के संबंध में आयात किया जाता है या आयातित माल को क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति से अंतरित किया जाता है। तथापि, 01.05.2006 से 31.03.2007 तक जारी प्राधिकारों के संबंध में ऐसी रकम संदेय नहीं होगी।

(घ) अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शुल्क्य मालों को परिभाषित किया जा सके।

(7) अधिसूचना संख्यांक 27/2009-सीमाशुल्क (एनटी) तारीख 17.03.2009 संपूर्ण भारत में अधिकारिता के साथ डीजीसीईआई के अधिकारियों के सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में कार्य करने का उपबंध करती है। इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से 09.05.2000 से प्रभावी किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

जबतक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

क. दर संरचना

मदों पर इस समय लागू 4% उत्पाद-शुल्क दर को निम्नलिखित प्रमुख अपवादों के साथ 8% तक बढ़ा दिया गया है :

- विनिर्दिष्ट खाद्य मदें जिनके अन्तर्गत बिस्कुट, शर्बत, केक तथा पेस्ट्रियां हैं।
- अध्याय 30 के अधीन आने वाले ओषधि और भेषजीय उत्पाद
- चिकित्सा उपस्कर
- कागज, पेपर बोर्ड तथा उसकी कतिपय किस्म की वस्तुएं
- पेराक्सलीन
- जल प्रबंधन के लिए शक्ति चालित पम्प
- 250 रुपए से अधिक परन्तु 750 रु. से अनधिक प्रति जोड़ा खुदरा विक्रय मूल्य के जूतादि
- प्रेशर कुकर
- 20 रु. प्रति बल्ब से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य के निर्वात और गैस से भरे बल्ब
- संहत प्रतिप्रदीप्त लैम्प
- शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार

ख. आटोमोबाइल सेक्टर

(1) उत्पाद-शुल्क के विनिर्दिष्ट संघटक को, जो 2000 सीसी और उससे अधिक की क्षमता वाले इंजन की बड़ी कारों, उपयोगिता यानों को लागू है, प्रतियान 20,000 से घटाकर 15,000 रु. प्रति यान कर दिया गया है।

(2) पेट्रोल चालित ट्रकों/लारियों पर उत्पाद-शुल्क 20% से घटाकर 8% कर दिया गया है। ऐसे ट्रकों/लारियों की चेसिस पर उत्पाद-शुल्क 20%+ 10000 रु. से घटाकर 8%+10000 रु. कर दिया गया है।

ग. पेट्रोलियम सेक्टर

(1) विशेष क्वथनांक स्पिरिटों पर उत्पाद-शुल्क घटा कर 14% कर दिया गया है।

(2) नेष्था पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 14% कर दिया गया है।

(3) 20% जैव डीजल तक मिश्रित शुल्क संदत्त उच्च गति डीजल को उत्पाद शुल्कों से पूर्णतः छूट दी गई है।

(4) विक्रय के लिए आशयित ब्रान्ड नाम वाले पेट्रोल पर 6% उत्पाद-शुल्क को मूल्यानुसार संघटक विनिर्दिष्ट दर में संपरिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः अब ऐसे पेट्रोल पर अब '6%+13 रु. प्रति लीटर' की दर की बजाए 14.50 रु. प्रति लीटर की दर से कुल उत्पाद-शुल्क लगेगा।

(5) विक्रय के लिए आशयित ब्रान्ड नाम वाले डीजल पर 6% उत्पाद-शुल्क का मूल्यानुसार संघटक विनिर्दिष्ट दर में संपरिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः ऐसे डीजल पर 6%+3.25 प्रति लीटर की बजाए 4.75 रु. प्रति लीटर का कुल उत्पाद-शुल्क लगेगा।

घ. टेक्सटाइल

(1) मानवनिर्मित फाइबर तथा सूत पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(2) पीटीए और डीएमटी पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(3) पालिस्टर चिपों पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(4) एक्राइलोनाइट्राइल पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(5) शुद्ध सूत के लिए 4% के वैकल्पिक उत्पाद-शुल्क की स्कीम को प्रत्यावर्तित किया गया है।

(6) फाइबर और सूत प्रक्रम से परे, शुद्ध सूत से भिन्न मानव निर्मित और प्राकृतिक फाइबरों के लिए उत्पाद-शुल्क विद्यमान वैकल्पिक स्कीम के अधीन 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

(7) शुल्क संदत्त स्टेपल फाइबर से विनिर्मित टोपों के बराबर शुल्क संदत्त मोटे सन से विनिर्मित मानवनिर्मित फाइबर टोपों पर वैकल्पिक उत्पाद-शुल्क छूट प्रदान की गई है।

(8) निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा स्वदेशी कच्ची सामग्रियों/इनपुटों का ऐसे मालों के विनिर्माण के लिए प्रयोग करके टेक्सटाइल मालों के समाशोधन के लिए डीटीए को लागू शुल्क दरों में उपयुक्त समायोजन किए जा रहे हैं।

ङ प्रकीर्ण

(1) सन्निर्माण के स्थल पर ऐसे स्थल पर सन्निर्माण संकर्म में उपयोग के लिए विनिर्मित अध्याय 68 के मालों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(2) "रेकार्डड स्मार्ट कार्डों" और "रेकार्डड प्रोक्सिमिटी कार्डों और टैगों" पर उत्पाद-शुल्क से छूट को वैकल्पिक बना दिया गया है। विनिर्माताओं को यह विकल्प है कि वे लागू उत्पाद-शुल्क का संदाय करें और इनपुटों पर संदत्त शुल्क का प्रत्यय लें।

(3) जुतादि के विनिर्माण के लिए आगे उपयोग के लिए जॉब वर्क पर विनिर्मित ईवीए संघटक को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(4) लघु उद्योग छूट योजना का फायदा मुद्रित लेमिनेटड रोलों को जिन पर, अन्य का ब्रांड नाम है, इस मद को ब्रांड नाम निर्बंधन के दायरें से हटा दिया गया है।

(5) पैक या कैन सॉफ्टवेयर पर मूल्य के उस भाग पर उत्पाद-शुल्क छूट का उपबंध किया गया है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है।

(6) आभूषणों की ब्रांडित वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 2% से घटा कर शून्य कर दिया गया है।

च. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

[ये परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे]

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपराधों के उपशमन की रीति का उपबंध और कतिपय अपराधों और परिस्थितियों का उपशमन न किया जाए। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 में भी पारिणामिक संशोधन किया जा रहा है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 14क और धारा 14कक का संशोधन किया जा रहा है जिससे मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को इन उपबंधों के अधीन विशेष लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए चार्टड अकांउटेंट नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 23क का संशोधन किया जा रहा है जिससे "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी" की परिभाषा को प्रतिस्थापित करके उसमें सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी को शामिल किया जा सके।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ का भूतलक्षी रूप से 1.07.2003 से संशोधन किया जा रहा है जिससे उच्च न्यायालय को विहित अवधि के पश्चात अपील फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए सशक्त करने के लिए अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज का भूतलक्षी रूप से 1.07.1999 से संशोधन किया जा रहा है जिससे उच्च न्यायालय को विहित अवधि के पश्चात आवेदन या प्रतिआक्षेप ज्ञापन फाइल करने में विलम्ब को माफ करने के लिए सशक्त करने के लिए अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके।

छ. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन

[ये परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे]

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में अध्याय 8 के टिप्पण 1 को प्रतिस्थापित किया गया है जिससे सुपारी के रूप में ज्ञात सुपारी उत्पादों को टैरिफ मद 2106 90 30 की परिधि से बाहर किया जा सके।

(2) अध्याय 21 में एक टिप्पण (सं. 6) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें टैरिफ मद 2106 90 30 के संबंध में छोटी इलाइची, कोपरा, मेंथॉल, मसाले, मधुकर अभिकर्मक या ऐसे ही संघटकों जिनमें नींबू, कत्था या तम्बाकु से सुपारी चाहे किसी भी रूप में हो, जोड़ने या मिश्रित करने की प्रक्रिया विनिर्माण मानी जाएगी।

(3) अध्याय 8 में टैरिफ मद 5801 22 10 के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में एम^2 और 8% क्रमशः अतःस्थापित किया जा रहा है।

ज. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों और सेनवेट प्रत्यय नियमों में संशोधन

[ये संशोधन सिवाए तब जब अन्यथा उपबंधित न किया जाए तुरंत प्रभावी होंगे]

(1) यह उपबंध करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में एक नया नियम अंतःस्थापित किया जा रहा है कि किसी अन्वेषण के दौरान विभाग द्वारा अभिग्रहीत ऐसे अभिलेखों को, जिनका कारण बताओ सूचना में भरोसा नही किया गया है, कारण बताओं सूचना जारी करने के 30 दिन के भीतर पक्षकार को लौटा दिया जाना चाहिए।

(2) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 2 में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसे "इनपुट" में जो सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, सीमेंट, एंग्लस, चैनल्स, सीटीडी या टीएमटी छड़े और पूंजी मालों के समर्थन के लिए शैड, भवन या संरचना के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य मदें सम्मिलित नहीं होंगी।

(3) अधिसूचना सं.33/97-सीई(एनटी) तारिख 01.08.1997, 44/97-सीई (एनटी) तारीख 30-08-1997 और 7/98- सीई(एनटी) तारीख 10.03.1998 का, संबंधित अधिसूचनाओं को जारी करने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की तत्कालीन धारा 3क द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण इन अधिसूचनाओं के अधीन उत्पाद-शुल्क की दरों को अधिसूचित करने की शक्ति है। [वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2009 के अधिनियमन पर प्रभाव होगा]

(4) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6(3) का यह विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि शुल्क्य और छूट प्राप्त मालों, दोनों का ऐसा विनिर्माता, जो इनपुटो का पृथक लेखा नही रखता है, छूट प्राप्त मालों के कुल मूल्य के 10% की बजाए 5% के बराबर रकम का संदाय करेगा।

सेवा कर

I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है:

(1) रेल द्वारा मालों के परिवहन में प्रदान की गई सेवा

(2) (i) तटीय स्थोरा, और (ii) राष्ट्रीय जलमार्गों सहित अंतरदेशीय जलमार्गों के माध्यम से मालों के परिवहन के संबंध में प्रदान की गई सेवा

(3) विधिक परामर्श सेवा

(4) प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा सेवा

उपरोक्त परिवर्तन, वित (सं.2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगें।

II. कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि को निम्नानुसार विस्तारित या परिवर्तित किया जा रहा है:

(1) कारबार सहायक सेवा (बीएएस) की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केवल वही प्रक्रियाएं, जिनके परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क्य मालों का (जोकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में परिभाषित हैं) विनिर्माण होता है, बीएएस के विस्तार क्षेत्र से अपवर्जित हैं।

(2) "सूचना प्रौद्योगिकी सोफ्टवेयर सेवा" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि "अर्जन करना" शब्दों (जो परिभाषा के क्रम स.(iv) और (v) में आते हैं) के स्थान पर "प्रदान करना" शब्द रखे जा सकें। इस संशोधन को 16.05.2008 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

(3) स्टॉकब्रोकर (स्टॉकब्रोकर सेवा में) की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उपदलाल को इसकी परिधि से अपवर्जित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप उपदलाल सेवा कर के विस्तार क्षेत्र से बाहर होंगे।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

III. अधिनियम में संशोधन

1. वित्त अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है:-

(क) धारा 84 के अधीन विहित पुनरीक्षण प्रक्रिया का उत्सादन तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रक्रिया के समान सेवा कर के मामलों में आयुक्त (अपील) के समक्ष विभागीय अपीलों की प्रक्रिया विहित करना। तदनुसार, आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण से संबंधित धारा 84 को उपांतरित किया जा रहा है तथा धारा 86 में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं। लंबित मामलों के संरक्षण हेतु एक व्यावृति खड का उपबंध किया जा रहा है।

(ख) सेवा प्रदान करने के स्थान तथा सेवा कर की दर के अवधारण हेतु सुसंगत तारीख के संबंध में नियम विरचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होगे।

IV. नियमों और विद्यमान अधिसूचनाओं में संशोधन

(1) अधिसूचना संख्याक 1/2002-एस.टी. तारीख 01.03.2002 के दायरे को भारत की संपूर्ण कांटीनेंटल शेल्फ तथा भारत के विशिष्ट आर्थिक जोनों में प्रतिष्ठापनों, संरचनाओं और जलयानों तक सेवा के उपबंधों को लागू कर विस्तृत किया जा रहा है।

(2) सैनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6(3) का यह विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है- कि कराधेय तथा छूट प्राप्त सेवाओं, दोनों का कोई प्रदाता, जो इनपुट का पृथक लेखा नहीं रखता, छूट प्राप्त सेवाओं के 8% के बजाय मूल्य के 6% के बराबर रकम का संदाय करेगा।

(3) सैनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 (5ख) को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि कोई सेवा प्रदाता पूर्णतः बट्टे खाते वाले इनपुट/पूंजी माल पर लिए गए प्रत्यय की रकम का वापस संदाय करेगा।

(4) संकर्म संविदा नियम, 2007 में उपबंधित स्पष्टीकरण को उपांतरित किया जा रहा है जिससे कि वैकल्पिक संघटक स्कीम के फायदों को केवल ऐसी संदर्भ संविदाओं को अनुज्ञात किया जा सके जहां कर दाता "संदर्भ संविदा के लिए भारित सकल मूल्य" के रूप में संदर्भ संविदा करने में प्रयुक्त मालों (चाहे प्रतिकूल के लिए किसी अन्य संविदा के अधीन आपूर्ति की गई हो या अन्यथा) तथा सेवाओं का संपूर्ण मूल्य घोषित करता है। यह निर्बधंन विद्यमान संकर्म संविदाओं को लागू नहीं होगा जहां 07.07.2009 को या उसके पूर्व या तो प्रतिपाटन प्रारंभ हो गया है या कोई संदाय कर दिया गया है।

ऊपर क्रम संख्यां (1) से (4) तक वर्णित परिवर्तन 07.07.2009 से तुरन्त प्रभावी होंगे।

(5) अधिसूचना संख्यांक 1/2009-एस.टी.तारीख 5.1.2009 (माल परिवहन अभिकरण सेवा से संबंधित) को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। यह उपबंध वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 द्वारा प्रभावी किया जा रहा है तथा यह उक्त अधिनियम के अधिनियमन से प्रभावी होगा।

V. छूटें

(1) विनिदिष्ट शर्तों के साथ "संविदा वाहन परमिट" धारण करने वाले यात्रियों को अंतर-राज्य या अन्तरराज्जीय परिवहन प्रदान करने वाले यानों को सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(2) भारत निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) और विनिर्दिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदों को सेवा कर (क्लब और संगम सेवा के अधीन उद्ग्रहणीय) से छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट 31.03.2010 तक विधिमान्य है।

(3) अनुसूचित बैकों के बीच विदेशी मुद्रा के अंतर-बैंक क्रय और विक्रय के लिए सेवा कर (बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं या विदेशी मुद्रा दलाली सेवा के अधीन उद्ग्रहणीय) से छूट प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त परिवर्तन तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

VI. नियार्तकों के लिए प्रतिदाय स्कीम

अधिसूचना संख्यांक 41/2007-एसटी तारीख 6.10.,2007 सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के लिए उपबंध करती है, जो, यद्यपि, इनपुट सेवाओं की प्रकृति की नहीं है, माल के निर्यात से संबंधित है। निर्यातकों को शीघ्र प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का पुनरुद्धार किया जा रहा है। नई स्कीम की प्रमुख विशेषताओं को दो अधिसूचनाओं, दोनों की तारीख 07.07.2009 है, के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैंः-

(क) दो कराधेय सेवाएं अर्थात; सड़क के माध्यम से माल का परिवहन और "विदेशी अभिकर्ताओं को संदत्त कमीशन को सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है, यदि निर्यातक विपरीत प्रभार आधार पर सेवाकर का संदाय करने का दायी है। तथापि, चूंकि कमीशन अभिकरण प्रभार पर वर्तमान 10% की सीमा को बनाए रखा गया है, निर्यातक को कमीशन की रकम पर सेवाकर, जो 10% से अधिक है, का संदाय करना होगा।

(ख) अधिसूचना सं.41/2007-एसटी तारीख 6.10.2007 को अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित की गई पुनरीक्षित प्रतिदाय स्कीम निम्नलिखित विहित करती है—

- "टर्मिनल हथालन प्रभार" को पात्र सेवाओं की सूची मे जोड़ा जा रहा है।
- प्रतिदाय दावा फाइल करने की समय अवधि को निर्यात की तारीख से एक वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। एक तिमाही मे एकबार प्रतिदाय दावे फाइल करने की शर्त को भी समाप्त किया जा रहा है। अब प्रत्येक निर्यात के पश्चात निर्यातकर्ता किसी भी समय प्रतिदाय दावा फाइल कर सकता है।
- प्रतिदाय दावे फाइल करने के लिए सरलीकृत प्ररूप विहित किया जा रहा है।
- प्रतिदायों की त्वरित मंजूरी और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन प्रांरभ किया जा रहा है। उस अवस्था में जहां, प्रतिदाय दावे की कुल रकम दावे के अधीन निर्यातों के कुल पोत पर्यन्त मूल्य के 0.25% से अनधिक है, वहां निर्यातकों द्वारा स्वप्रमाणन सुसंगत दस्तावेजों पर उस प्रभाव के (i) पात्र सेवाएं उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैंः- (ii) उन पर संदेय सेवाकर की प्रतिपूर्ति कर दी गई है; और (iii) ऐसी सेवाओं का निर्यात के लिए उपयोग किया गया है, पर्याप्त होगा। प्रतिदायों को पूर्व संपरीक्षा के बिना एक मास से भीतर अनुदत्त किया जाएगा।
- उन मामलों मे जहां निर्यात का पोत पर्यन्त मूल्य प्रतिदाय दावे की रकम के 0.25% से अधिक है, वहां निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ऐसे चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा करता है। ऐसे प्रमाणन के आधार पर, प्रतिदाय दावा किसी पूर्व संपरीक्षा के बिना एक मास के भीतर स्वीकृत किया जाएगा।